

लीज-होल्ड प्रणाली से फ्री-होल्ड में परिवर्तन संबंधी योजना

(व्यावसायिक / औद्योगिक प्लॉटों / डी.डी.ए. निर्मित दुकानों के लिए)

**SCHEME OF CONVERSION FROM LEASEHOLD
SYSTEM INTO FREEHOLD**

(FOR COMMERCIAL / INDUSTRIAL PLOTS/DDA BUILD UP SHOPS)



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

दिल्ली विकास प्राधिकरण

लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन संबंधी योजना
(व्यावसायिक/औद्योगिक प्लॉट/दि.वि.प्रा. निर्मित दुकानों हेतु)
SCHEME OF CONVERSION FROM LEASEHOLD
INTO FREEHOLD
(FOR COMMERCIAL/INDUSTRIAL PLOTS/DDA BUILT UP SHOPS)



जुलाई/JULY 2016

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मूल्य रु. 100/-
PRICES RS. 100/-

विषय-सूची INDEX

पृष्ठ सं०
Page No.

योजना की मुख्य योजनाएँ
SALIENT FEATURE OF
THE SCHEME

शामिल सम्पत्तियों की प्रकृति
Nature of Properties Covered

1

परिवर्तन प्रभार
Conversion Charges

1

भुगतान की समय अवधि
Time span for Payment

1

भू-भाटक के भुगतान की जिम्मेवारी
Liability to pay ground rent

1

बंधक सम्पत्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र
NOC for mortgaged properties

1

मुख्तारनामा धारी व्यक्तियों की उपयुक्तता
Applicability to Power of Attorney Holders

2

अधिभार
Surcharge

2

विभिन्न स्थानों/जोनों के लिए परिवर्तन प्रभार दरें
Conversion Rates for various Localities/Zones

2

नमूना परिकलन जमा कराने की पद्धति
Model Calculations

2

जमा करने की पद्धति
Mode of Remittances

3

परिवर्तन के लिए आवेदन-पत्र जमा कराने की पद्धति
PROCEDURE FOR SUBMISSION
OF APPLICATION FOR CONVERSION

3-4

बैंक शाखाओं के नाम
LIST OF BANK BRANCHES

3

जमा कराए जाने वाले दस्तावेज़
DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

4-5

आवेदन फार्म भरने के दिशा निर्देश
GUIDELINES FOR FILLING-UP
THE APPLICATION FORM

5-6

अनुबंध "क" Annexure 'A'	परिवर्तन प्रभार दरें एवं परिवर्तन प्रभार सिद्धांत Conversion fee/rate & Conversion Charge formula	7-8
अनुबंध "ख" Annexure 'B'	विभिन्न स्थानों/जोनों की प्रभार भूमि की परिवर्तन प्रभार दरें Conversion Rates of Various Localities Zones	9-14
अनुबंध "ग" Annexure 'C'	परिवर्तन प्रभार परिकलन के उदाहरण Illustrative Cases for calculation of conversion charges	15-18
परिशिष्ट Appendix		19-20
अनुबंध "घ" Annexure 'D'	वचनबंध पत्र का नमूना Format of Undertaking	21-22
अनुबंध "ङ" Annexure 'E'	शपथपत्र का नमूना Format of Affidavit	23-24
अनुबंध ("च" एवं "च च") Annexure 'F' & 'FF'	क्षतिपूर्ति बंधपत्र के नमूने Format(s) of Indemnity Bond	25-28
अनुबंध "छ" Annexure 'G'	नमूना हस्ताक्षर एवं फोटो Format for specimen signature & Affixing Photos	29
अनुबंध "ज" Annexure 'H'	भू-भाटक के भुगतान संबंधी सूचना Format for information regarding payment of ground rent	29

टिप्पणी:-
NOTE :-

विवरण पुस्तिका में पृथक रूप से शामिल पावती एवं भुगतान चालान सहित आवेदन फार्म
APPLICATION FORM WITH ACKNOWLEDGEMENT AND PAYMENT
CHALLANS SEPARATELY ADDED TO THE BROCHURE.

लीज-होल्ड भूधारण प्रणाली से फ्री-होल्ड में परिवर्तन की योजना

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में दुकानों और व्यावसायिक/औद्योगिक निर्मित प्लोटों, भले ही उनका आकार कितना हो, को परिवर्तन प्रभारों का भुगतान करने बाद लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने का निर्णय लिया था। निर्धारित परिवर्तन प्रभार दिनांक 31.3.2004 तक लागू हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएँ :-

1. इस योजना में निम्नलिखित सम्पत्तियाँ शामिल हैं:-

(क) सभी निर्मित व्यावसायिक/औद्योगिक/व्यावसायिक प्लेटों सहित दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित दुकानें जिन्हें भारत के राष्ट्रपति/दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से पट्टा दिया जा चुका है,।

2. लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन के लिए देय एक-मुश्त प्रभार अनुबंध "क" व "ख" में निर्दिष्ट है। उन प्रभारों का भुगतान एक-मुश्त करना है।

मूल पट्टेदार/उपपट्टेदार को (जहां उपपट्टेदार शब्द यह केवल उन प्लोटों के लिए लागू है, जो सहकारी औद्योगिक सोसाइटियों के माध्यम से आबंटित किए गए हैं) अनुबंध "क" व "ख" पर बताई गई मुश्त प्रभार दरों पर 40% रिहायत मिलेगी।

3. परिवर्तन की अनुमति, प्लॉट पर व्यावसायिक/औद्योगिक भवन का निर्माण कर लिए जाने और भवन का समापन प्रमाण पत्र/डी फार्म प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी।
4. परिवर्तन के आवेदन पत्र, निर्धारित दस्तावेजों के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5. परिवर्तन की अनुमति दिए जाने से पहले आवेदक को भू-भाटक की बकाया राशि का 10% वार्षिक की दर से ब्याज सहित, जहां लागू हो, भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों जिनमें भू-भाटक का संशोधन किया जाना है, उनमें हस्तांतरण विलेख का निष्पादन करने से पूर्व राशि जमा कराने के लिए पट्टेदार को भू-भाटक की संशोधित राशि अधिसूचित की जाएगी।
6. परिवर्तन केवल उन सम्पत्तियों के लए लागू होगा जो उस भूमि पर है जिसका भूमि उपयोग, पट्टा विलेख/उप-पट्टा विलेख/आबंटन पत्र के अंतर्गत व्यावसायिक/औद्योगिक जो भी स्थिति हो, निर्धारित है।
7. बंधक सम्पत्ति के मामले में परिवर्तन की अनुमति बंधकदार से "अनापति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी। यदि सम्पत्ति एक से अधिक बार बंधक रखी गई है तो सभी बंधकदारों से अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

The Scheme of Conversion from Lease Hold System of Land Tenure into Free Hold

In pursuance of orders issued by Govt. of India, Delhi Development Authority has decided to convert Shops as well as Commercial/Industrial Built up plots irrespective of the size in Delhi from lease hold to free hold on payment of conversion charges. The prescribed conversion charges are applicable upto 31.03.2004

SALIENT FEATURES OF THE SCHEME

1. The scheme covers the following properties:-

a) All built up Commercial/Industrial/DDA built up Shops including Commercial Flats where the lease has been granted on behalf of the President of India/Delhi Development Authority.

2. The one time charges payable for conversion from leasehold to freehold are set out in Annexure- "A" read with Annexure-"B" These charges are to be paid in lump sum.

Original lessees/sub-lessees (wherever the words sub-lessees appears it is applicable only in case of plots allotted through Cooperative Industrial Societies), allottees would be entitled to 40% remission in the conversion charges as specified in Annexure-"A"

3. Conversion would be allowed only when the Commercial/Industrial building on the plot has been constructed and Completion Certificate/D Form for the Building has been obtained.
4. The application for conversion shall not be entertained unless accompanied by prescribed documents.
5. The arrears of Ground Rent alongwith interest @ 10% per annum wherever applicable would have to be paid by the applicant before conversion can be permitted. In case where revision of Ground Rent has become due, the revised amount of rent will be notified to the lessee for depositing the amount before the execution of the Conveyance Deed.
6. The conversion shall be applicable only for properties which are on land for which the land use prescribed in the Lease Deed/ Sub-Lease Deed/Allotment Letter is Commercial/Industrial as the case may be.
7. In cases on mortgaged properties, conversion would be allowed only on submission of 'No Objection Certificate(s)' from all the mortgagees. If the property has been mortgaged more than once, 'No Objection Certificate' from all the mortgagees are required to be submitted.

8. ऐसे मामले में जिनमें पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर नहीं किए गये हो, परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि पट्टा विलेख प्रशासनिक कारणों से निष्पादित न किया गया हो न कि आबंटितों की ओर से विभिन्न कमियों के कारण निष्पादित न किया गया हो। तथापि, ऐसे मामलों में अधिभार, जहाँ लागू हो, सहित परिवर्तन प्रभार और सम्पत्ति के मूल्य/प्राशुल्क की राशि पर स्टाम्प-शुल्क देय होगा।
9. सम्पत्ति के हक से संबंधित किसी विधिक विवाद के मामले में परिवर्तन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि विधिक विवाद का निपटारा नहीं हो जाता।
10. (i) परिवर्तन की अनुमति आवेदक द्वारा सम्पत्ति के संबंध में दुरुपयोग, क्षतिपूर्ति, भू-भाटक, सेवा/रखरखाव प्रभारों आदि सहित सभी शुल्कों का भुगतान किए जाने के बाद दी जाएगी।
10. (ii) पुनराधिकार सम्पत्तियों के मामले में परिवर्तन की अनुमति तभी दी जाएगी, जब कि पुनराधिकार नोटिस वापस ले लिया गया हो और पट्टा/उप-पट्टा/आबंटन बहाल कर दिया गया हो।
10. (iii) परिवर्तन के उद्देश्य के लिए, परिवर्तन के आवेदन की तिथि तक दुरुपयोग प्रभार लिया जाएगा और इसके बाद भी संबंधित स्थानीय निकाय उप-विधि/विनियमों के अंतर्गत दुरुपयोग के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखेगा।
10. (iv) सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण वाली सम्पत्तियों के संबंध में फ्री-होल्ड में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पट्टेदार को परिवर्तन के आवेदनपत्र पर विचार किए जाने से पहले अतिक्रमित भूमि खाली करनी होगी और उसे सामान्य नियमों के अनुसार आंशिक अवधि के लिए अधिभोग प्रभार का भी भुगतान करना होगा।
11. मूल पट्टेदार/उपपट्टेदार/आबंटिती और मुख्तारनामाधारक के बीच किसी विवाद की स्थिति में फ्री-होल्ड अधिकार देने के आवेदन पत्र पर केवल विवाद निपट जाने के बाद ही विचार किया जाएगा।
12. जिन मामलों में नामांतरण और प्रतिस्थापन के आवेदन पत्र पट्टाकर्ता के पास लंबित हैं, उनमें परिवर्तन की अनुमति आवश्यक नामांतरण/प्रतिस्थापन किए जाने के बाद ही दी जाएगी।
13. ऐसे मामलों में भी परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी, जिनमें पट्टेदार/उपपट्टेदार/आबंटिती ने सम्पत्ति का कब्जा दे दिया हो, बशर्ते कि :-
 - (क) परिवर्तन का आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जिसको सम्पत्ति के हस्तांतरण (विक्रय/अन्तरण) के लिए पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटिती द्वारा मुख्तारनामा दिया गया हो।
 - (ख) सम्पत्ति के कब्जे का प्रमाण उस व्यक्ति के पक्ष दिया गया हो, जिसके नाम परिवर्तन कराया जाना है।
8. In cases where a lease deed has not been signed, conversion will be allowed provided that the non-execution of the lease deed has been on account of administrative reasons and not because of certain defaults on the part of the allottees. However in such cases the stamp duty would be payable on the amount of conversion charges and the surcharge wherever applicable as well as the price/premium of the property.
9. In case of any legal dispute relating to title of the property, conversion shall not be allowed until the legal dispute is settled.
10. (i) Conversion will be allowed only when all dues including charges towards Misuse, Damage, Ground Rent, Service/Maintenance charges etc. have been paid by the applicant in respect of the property.
10. (ii) in case of re-entered properties conversion would be allowed only when re-entry notice has been withdrawn and the Lease / Sublease / Allotment restored.
10. (iii) For the purpose of conversion, misuse charges would be livable upto the date of application of conversion even after which action against misuse would continue to be taken by the respective local bodies under the byelaws / regulations.
10. (iv) Conversion to freehold shall not be permitted in respect of properties involving encroachment on government/public land. The lessee would have to vacate the encroached land before consideration of the conversion application and shall also be liable to payment of occupation charges for the part period as per normal rules.
11. In case of any dispute between the original lessee/sub-lessee/allottee and Power of Attorney holder, application for grant of freehold rights would be entertained only after the dispute is settled.
12. In case where applications for mutation or substitution are pending with the lessor, conversion would be allowed only after the necessary mutation/substitution has been carried out.
13. The conversion shall also be allowed in the cases where lessee/sub-lessee/allottee has parted with the possession of the property, provided that:
 - a) Application for conversion is made by a person holding power of attorney from lessee/sub-lessee/allottee to alienate (sell/transfer) the property.
 - b) Proof is given of possession of the property in favour of the person in whose name conversion is being sought.

(ग) जिन मामलों में क्रमिक मुख्तारनामें है, उन में परिवर्तन की अनुमति कब्जे के तथ्यों के सत्यापन के बाद ही की जाएगी, बशर्ते कि मूल पट्टेदार/ उप-पट्टेदार/ आबंटिती का अंतिम मुख्तारनामा-धारक के साथ संबंध स्थापित हो जाए और मुख्तारनामे की साक्षात्कृत प्रतियां प्रस्तुत कर दी गई हों।

ऐसे मामलों में सामान्य परिवर्तन प्रभारों के अतिरिक्त परिवर्तन शुल्क पर 33-1/3% अधिभार देय होगा (कोई अनर्जित वृद्धि वसूल नहीं की जाएगी)

14. किश्त आधार पर आबंटित दि.वि. प्रा. की दुकानों के मामले में परिवर्तन की अनुमति सभी किश्तों का ब्याज सहित, यदि कोई हो, भुगतान करने के बाद ही दी जाएगी।
15. परिवर्तन योजना ऐच्छिक है।
16. (i) व्यवसायिक/औद्योगिक प्लॉटों एवं दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित दुकानों के लिए परिवर्तन दरें अनुबंध 'क' में दी गई हैं। जोनवार/स्थानवार दरें अनुबंध-'ख' में दी गई हैं। जिन स्थानों के लिए भूमि दरें अनुबंध 'ख' में नहीं दी गई हैं, उस स्थान के लिए उसके निकटवर्ती/तुलनात्मक स्थानों की दरें लागू होगी।
16. (ii) मूल पट्टेदार के पक्ष में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन प्रभार पर 40% छूट की अनुमति होगी।
17. परिवर्तन प्रभार और अधिभार का मॉडल परिकलन अनुबंध 'ग' में दिया गया है।
18. यथा लागू अपेक्षित परिवर्तन प्रभार और अधिभार तथा 500/- रु. के कार्रवाई शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के समय जमा कराने होंगे।
19. राशि जमा कराने का तरीका अधिमानतः भुगतान आदेश बैंक ड्राफ्ट द्वारा होगा जो दिल्ली में ही देय हो। 20,000/- रु. से कम की राशि को नगद स्वीकार किया जा सकता है। जमा कराई जाने वाली राशि निकटतम पूरे रूप्यों में हो। अदायगी निर्धारित चालान फार्म द्वारा की जाए जो आवेदन-पत्र का एक भाग है और जो चार प्रतियों में हैं। आवेदन पत्र और परिवर्तन प्रभार जमा करवाने के बाद आवेदक बैंक से चालान की प्रति सहित पावती अवश्य प्राप्त करें जो कि भविष्य में उनके द्वारा किए गए भुगतान का प्रमाण होगी।
परिवर्तन प्रभार, एवं अधिभार, जहाँ लागू हो, का भुगतान एक मुश्त जमा कराना होगा।
20. मूल पट्टा विलेख, अंतरण विलेख के निष्पादन के समय प्रस्तुत करने होंगे। इसे रद्द कर दिया जाएगा और अंतरण विलेख के साथ वापस कर दिया जाएगा।

c) Where there are successive power of attorneys, conversion will be allowed after verifying the factum of possession provided that the linkage of original lessee/sub-lessee/allottee with the last power of attorney is established and attested copies of power of attorneys are submitted.

In such cases, a surcharge of 33-1/3% on the conversion fee would be payable over and above the normal conversion charges applicable for a regular lessee (no unearned increase will be recoverable).

14. In case of the DDA Shops allotted on installment basis, conversion shall be allowed only after all the installments have be paid with interest, if any.
15. The scheme of Conversion is optional.
- 16 (i) The conversion rates for commercial/industrial plots and DDA built up shops have been given in Annexure 'A'. The zone-wise/location-wise rates are given in Annexure 'B'. The localities for which land rates have not been given in Annexure 'B', the rates of the adjoining/comparable locality would be applicable.
16. (ii) A remission of 40% on the conversion charges will be allowed in case of conversion in favour of original lessees.
17. Model calculations of conversion charges and surcharge have been in Annexure 'C'
18. The requisite conversion charges and surcharge as applicable alongwith processing fee of Rs. 500/- are required to be deposited at the time of submission of applications form.
19. Mode of remittance shall be preferable by Pay Order, Bank Draft payable at Delhi. For amounts less than Rs. 20,000/-, cash will also be accepted. The amount of remittance has to be rounded of to the nearest rupee. The payment is to be made through the prescribed challan form which is a part of application and is in quadruplicate.
After depositing the application form and the conversion charges, applicants must ensure to obtain an acknowledgment from the bank together with a copy of the challan to serve as proof of payment for their further reference.
The conversion charges, and surcharge wherever applicable are to be deposited in lumpsum.
20. The original lease deed should be produced at the time of execution of the conveyance deed. The same will be cancelled and returned alongwith the conveyance deed.

21. यदि मूल पट्टा विलेख गुम हो गया हो तो पट्टाधारी आवेदक, जिस क्षेत्र में सम्पत्ति स्थित है, उस क्षेत्र में परिचालन वाले किसी प्रतिष्ठित समाचारपत्र में इसकी सूचना जारी कराए और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शपथ पत्र निष्पादित करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मूल पट्टा विलेख कैसे गुम हुए समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना और मूल शपथपत्र, अंतरण विलेख के निष्पादन की तारीख से कम से कम 10 दिनों पहले प्रस्तुत कर दिया जाए।

परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति

निर्धारित आवेदन फार्म सहित विवरणिका दि.वि.प्रा. के निम्नलिखित कार्यालयों में 100/- रु. का भुगतान करने पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

- (i) विक्रय काउंटर नं. 11-ए डी ब्लॉक विकास सदन, नई दिल्ली,
- (ii) मुख्य अभियंता (द्वारका) कार्यालय, डी.डी.ए परियोजना कार्यालय कॉम्प्लेक्स, मंगलापुरी, द्वारका, नई दिल्ली-110045
- (iii) मुख्य अभियंता (रोहिणी) कार्यालय, डी.डी.ए कार्यालय, कॉम्प्लेक्स, दीपाली चौक, दिल्ली,
- (iv) अधिशासी अभियंता कार्यालय, पश्चिमी खंड-5, पहली मंजिल, डी.डी.ए कार्यालय भवन, विकास मीनार, नई दिल्ली,
- (v) लेखा अधिकारी (केन्द्रीय लेखा इकाई), डी.डी.ए कार्यालय कॉम्प्लेक्स (पूर्वी जोन) सीड बेड पार्क-शकरपुर, दिल्ली
- (vi) लेखा अधिकारी (केन्द्रीय लेखा इकाई), डी.डी.ए कार्यालय (उत्तरी जोन), निकट रेलवे क्रॉसिंग, बी ब्लॉक, अशोक विहार, फस-1, दिल्ली।

निम्नलिखित प्लॉटों के संबंध में आवेदन फार्म तीन विभिन्न रंगों में छापे गए हैं।

- (i) व्यावसायिक प्लॉट (लाल रंग में)
- (ii) औद्योगिक प्लॉट (नीले कागज पर लाल छपाई)
- (iii) दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित दुकानें, (काले रंग में) व्यावसायिक प्लॉटों सहित

हर तरह से भरे हुए आवेदनपत्र निर्धारित परिवर्तन और अन्य प्रभारों के साथ विकास सदन (मुख्यालय, आई. एन. ए. मार्केट के पास) स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जमा कराए जा सकते हैं।

यदि कोई आवेदन पत्र किसी भी रूप से अधूरा या दोषपूर्ण पाया जाएगा तो आवेदक को 30 दिन की अवधि के अंदर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न न किए गए दस्तावेज लगाने और दोषों को दूर करने के लिए अवसर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि के अंदर आवेदक द्वारा दोषों को ठीक न किए जाने पर आवेदन पत्र रद्द माना जाएगा। जो भी आवेदन पत्र ठीक होंगे उन सभी को निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने की तारीख से अधिकतम 90 दिन के अंदर निबटा दिया जाएगा। हस्तांतरण विलेख उस आवेदक/व्यक्ति, जिसके नाम परिवर्तन कराने की इच्छा

21. If the original lease deed was lost, the lessee/applicant must issue notice in a prominent paper having circulation in the area where the property is situated and also execute an affidavit before the 1st Class Magistrate indicating there in how the original lease deed was lost. A copy of the public notice published in the newspapers and the original affidavit must be submitted at least 10 days before the date of execution of the conveyance deed.

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR CONVERSION

The brochure alongwith prescribed application form will be available for sale on payment of Rs. 100/- at the following offices of the DDA.

- (i) Sales Counter No: 11-A, D Block, Vikas Sadan, New Delhi
- (ii) Office of Chief Engineer (Dwarka), DDA Project Office Complex, Mangalapuri, Dwarka, New Delhi- 110045
- (iii) Office of Chief Engineer (Rohini), DDA Office Complex, Deepali Chowk, Delhi
- (iv) Office of Executive Engineer, WD- 5, 1st Floor, DDA Office Building, VIKAS MINAR, New Delhi
- (v) AO (CAU), DDA Office Complex (East Zone), Seed Bed Park, Shakarpur, Delhi-92
- (vi) AO (CAU) DDA Office Complex (North Zone), Near Railway Crossing, B Block, Ashok Vihar Phase-1, Delhi-52.

Application Forms in three different colours have been printed in respect of:-

- (i) Commercial Plots (in Red)
- (ii) Industrial Plots (Red Print on Blue Paper)
- (iii) DDA Built-up Shops including Commercial Flats (Black)

The application forms duly complete in all respects alongwith prescribed conversion and other charges may be deposited at the Vikas Sadan (DDA Head Office, Near INA Market), Branches of either the Central Bank of India or the State Bank of India.

If any application is found incomplete or defective in any manner, the applicant shall be given an opportunity to furnish the prescribed documents not enclosed to the applicant and to remove the defects within a period of 30 days. On the failure of the applicant to remove the defects within the period specified, the application shall be deemed to have been rejected. Applications found in order will be disposed of within a maximum period of 90 days from the date on which the prescribed formalities are completed. Conveyance Deed shall be sent

व्यक्त की गई है, के पास पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके बाद प्राप्तकर्ता हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प समाहर्ता से स्टाम्प लगवाएंगे और उसे प्राप्त करने के 45 दिन के अंदर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवाएं, 'डी' ब्लॉक विकास सदन, आई.एन.ए. स्थित निर्धारित काउंटर पर जमा करवाएंगे।

हस्तांतरण विलेख प्राप्त करने के समय तारीख दी जाएगी। जिस दिन 'डी' ब्लॉक, विकास सदन के निर्धारित काउंटर से हस्ताक्षरित हस्तांतरण विलेख प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्राप्तकर्ता को हस्तांतरण विलेख को संबंधित उप पंजीकार के पास पंजीकृत करवाना होगा। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभारों का वहन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके नाम परिवर्तन करने की अनुमति दी गई होगी।

यदि आवेदक/व्यक्ति जिसके नाम परिवर्तन कराने की इच्छा व्यक्त की गई है, को हस्तांतरण विलेख 90 दिन के अंदर प्राप्त नहीं होता है तो वह स्कीम की नोडल अधिकारी, दिल्ली सदन प्राधिकरण के व्यावसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि के संबंधित निदेशक से सार्वजनिक सुनवाई के दिनों (सोमवार, मंगलवार एवं बृहस्पतिवार) अपराह्न 2.30 बजे से 5.30 बजे तक सम्पर्क कर सकता है।

जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

- (क) निर्धारित फार्म में नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत वचन पत्र। अनुबंध 'घ' (डी)
- (ख) निर्धारित फार्म में नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत शपथ पत्र। अनुबंध 'ड' (ई)
- (ग) निर्धारित फार्म में नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत क्षतिपूर्ति बंधपत्र। अनुबंध 'च' एवं 'चच' (एफ एवं एफएफ)
- (घ) नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत विक्रय करार सहित मुख्तारनामे की प्रति (जहां आवेदनपत्र अटर्नी द्वारा दिया गया हो)।
- (च) नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत समापन प्रमाणपत्र/डी फार्म की प्रतिलिपि। (डी.डी.ए द्वारा निर्मित दुकानें एवं व्यावसायिक प्लेटों में लागू नहीं)।
- (छ) जिस व्यक्ति के नाम परिवर्तन करवाना है, उसका वास्तविक कब्जे का प्रमाण, जैसे कब्जा-पत्र अथवा पर्ची/गृहकर रसीद/राशनकार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस परिचय पत्र आदि की प्रतिलिपि, जो नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत होनी चाहिए।

to the applicant/person in whose name conversion is sought by registered post. The recipient shall then get it stamped from Collector of Stamps and submit it within 45 days from the receipt thereof at the specified counter located at 'D' Block, Vikas Sadan, INA for signature of the authorised person. On receipt of the conveyance deed, a date will be given on which the signed conveyance deed can be collected from the specified counter at 'D' Block, Vikas Sadan. Thereafter the recipient shall get the conveyance deed registered with the concerned sub register. Stamp Duty and registration charges shall be borne by the person in whose favour the conversion is allowed.

In case the conveyance deed is not received by the applicant/person in whose favour conversion has been sought within a period of 90 days, he/she may contact the Nodal Officer for the scheme, i.e. the concerned Director of Commercial Lands/Industrial Land of Delhi Development Authority on the public hearing day. (Monday, Tuesday & Thursday from 2.30 P.M. to 5.30 P.M.)

DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED

The applicant shall be required to furnish the following documents alongwith the application form:-

- (a) Undertaking in prescribed format duly attested by Notary Public/First Class Magistrate. (Annexure "D")
- (b) Affidavit in prescribed format duly attested by Notary Public/First Class Magistrate. (Annexure "E")
- (c) Indemnity Bond(s) in prescribed format(s) duly attested by Notary Public/First Class Magistrate (Annexure "F" and "FF")
- (d) Copy of POA(s) alongwith copy of Sale Agreement (Where application is made by attorney), duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (e) Copy of Completion Certificate/"D" Form duly attested by Notary Public/Gazetted Officer. (Not applicable in case of DDA Built-up Shops/Commercial Flats).
- (f) Proof of Physical Possession by the person in whose name the conversion is sought viz copy of Possession Letter or Slip/House Tax Receipt/Ration Card/Passport/Driving Licence/ Identify Card etc duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.

- (ज) उस व्यक्ति के चार पासपोर्ट आकार के साक्षांकित फोटो और चार साक्षांकित नमूना-हस्ताक्षर जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना हो। जो अनुबंध 'छ' (जी) के अनुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् साक्षांकित हो। (यदि आवेदक आबंटिती/उप पट्टेदार/पट्टेदार हो तो उसके फोटो और आवेदक अटर्नी हो। कालम 3 में उल्लिखित व्यक्ति के फोटो जमा करें)
- (झ) नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्षांकित पट्टाविलेख/उप पट्टाविलेख/हस्तांतरण विलेख/आबंटन-पत्र की प्रतिलिपि।
- (ट) नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्षांकित बंधकदार (बंधकदारों) के अनापति प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) की प्रतिलिपि।
- (ठ) भू-भाटक के भुगतान विवरणों के संबंध में सूचना अनुबंध "ज" (एच)

- (g) 4 Attested Passport size photographs and 4 attested specimen signatures of the person in whose favour the conversion is sought duly attested by a Gazetted Officers/Notary Public as per Annexure "G" (If the applicant is allottee/sub-lessee/lessee, then his/her photograph and in case of applicant being an attorney, photographs of person named in column "3" of the application form are required to be submitted.
- (h) Copy of lease deed/sub-lease deed/conveyance deed/allotment letter/demand letter duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (i) Copy of N.O.C. (s) form the mortgagee(s) duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (j) Information regarding payment details of Ground Rent (Annexure "H")

आवेदन - पत्र भरने के लिए दिशा-निर्देश

कालम -1

यदि सम्पत्ति का केवल एक आबंटिती/उपपट्टेदार/पट्टेदार हो, जो फ्री-होल्ड में परिवर्तन करवाना चाहता हो तो उसका नाम और अन्य विवरण उपकालम (क) में दिए जाने चाहिए। यदि हो आबंटिती/उपपट्टेदार/पट्टेदार हो, तो उनके नामों एवं अन्य विवरणों का उल्लेख से उप कालम (क) और (ख) में किया जाना चाहिए। यदि कहीं दो से अधिक पट्टेदार/उप-पट्टेदार, आबंटिती हों तो उनके अपेक्षित विवरणों का उल्लेख करते हुए अलग पत्र संलग्न करें।

कालम -2

यदि पट्टेदार/उप-पट्टेदार, आबंटिती की ओर से विक्रय अनुमति लेने, विक्रय विलेख निष्पादित कराने और उसके पंजीकृत कराने के लिए विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विवरणों का इस कालम में उल्लेख किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में पहले कालम को भी भरना होगा। यदि उत्तरवर्ती अटर्नी हो तो केवल अंतिम अटर्नी के आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा। बशर्ते कि मूल पट्टेदार/उप-पट्टेदार, आबंटिती और आवेदक/अंतिम अटर्नी का संबंध स्थापित करते हुए सभी मुख्तारनामों की साक्षांकित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हों।

कालम -3

यह कालम केवल उन्हीं मामलों में लागू है, जहां पट्टेदार/उप-पट्टेदार, आबंटिती के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तन कराया जाना हो, और आवेदन पत्र अटर्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। तथापि, यह आवश्यक होगा कि व्यक्ति-जिसके पक्ष में परिवर्तन कराया जाना हो, के पास उसके पक्ष में निष्पादित वैध विक्रय करार के अंतर्गत सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा होना चाहिए।

GUIDELINES FOR FILLING-UP THE APPLICATION FORM

Column 1

If there is only one allottee/sub-lessee/lessee of the property sought to be converted into freehold, his name and other particulars should be given in sub-column (a). If there are two allottees/sub-lessees/lessees, the names and other particulars should be given separately in sub column (a) & (b). If there are more than two lessees/sub-lessees/allottee, a separate sheet be attached giving the required particulars.

Column 2

If the application is submitted by an attorney duly authorised to seek sale permission, execute the Sale Deed and get it registered on behalf of the lessee/sub-lessee/allottee, his particulars should be given in the column. However, 1st column also shall be filled up in such cases. If there are successive Power of Attorneys, the application shall be entertained only from the last Attorney provided that attested copies of all the Power of Attorneys establishing the linkage between the original lessee/sub-lessee/allottee and the applicant/last attorney are submitted.

Column 3

This column is applicable only in case where conversion is sought in favour of a person other than the lessee/sub-lessee/allottee and the application is submitted by the Attorney. It would, however, be necessary that the person in whose favour the conversion is sought is in physical possession of the property under a valid Agreement to Sell executed in his/her favour.

कालम-4

उपकालम-(ii) के अंतर्गत कालम 3 में नामित व्यक्ति के पास कब्जे के प्रमाण के लिए कुछ प्रामाणिक दस्तावेज अर्थात् राशन कार्ड, पास पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की साक्ष्यांकित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। उप कालम (iii) के अंतर्गत बेचने के लिए करारनामों अथवा किसी अन्य प्रामाणिक दस्तावेज की साक्ष्यांकित सत्य प्रतियां प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, जो इस बात का उल्लेख करता हो कि कालम 3 में नामित किए गए व्यक्ति ने पहले ही सम्पत्ति के खरीदने की सहमति दे दी है।

कालम-5

फाइल संख्या पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटिती को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भेजे गए पत्रों पर दी गई है और वहां से प्राप्त की जा सकती है।

कालम -18

परिवर्तन के लिए आवेदन करने के पहले अद्यतन भू-भाटक और उसके साथ बकाया भू-भाटक पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज यदि कोई हो, का भुगतान करना आवश्यक है। सहकारी औद्योगिक सोसाइटियों द्वारा आबंटित किए गए भूखंडों के मामले में परिवर्तन की अनुमति तभी दी जाएगी, जब कि सोसायटी ने भू-भाटक के बकाया पर ब्याज सहित यदि कोई हो, अद्यतन भू-भाटक का भुगतान कर दिया हो। सोसाइटी द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भू-भाटक के भुगतान के प्रमाण के व्यक्तिगत भूखण्ड के संबंध में भुगतान का प्रमाण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कालम -19

आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह परिवर्तन प्रभारों का दिए गए फार्मूले के अनुसार ध्यानपूर्वक निर्धारण कर लें। भूखण्डों दुकानों के संबंध में लागू होने वाली अधिसूचित भूमि दरें अनुबंध 'क' और 'ख' में दी गई हैं।

कालम - 20

उन मामलों में जहां आवेदनपत्र पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटिती के अटर्नी द्वारा प्रस्तुत किया जाए और आबंटिती/पट्टेदार/उप पट्टेदार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तन करवाना हो तो अधिभार का भुगतान करना होगा। अधिभार राशि निर्धारित परिवर्तन प्रभारों का 33-1/3% है।

Column 4

Under sub-column (ii), some authentic document viz attested Photostat copy of Ration Card, Passport, and Driving Licence etc should be submitted in proof of possession with the person named in column 3. Under sub-column (iii), attested true copy of Agreement to sell or any other authentic document showing that the person named in column 3 has already agreed to purchase the property is required to be submitted.

Column 5

Files number is given on the communication sent to the lessee/sub-lessee/allottee by the DDA and can be taken from there.

Column 18

It is necessary to pay up to date Ground Rent, alongwith simple interest @ 10% per annum for arrears, if any, before applying for conversion. In cases of plots allotted by Co-operative Industrial Societies, conversion shall be allowed only after the society has paid up-to-date Ground Rent alongwith interest on arrears, if any. Proof of payment of Ground Rent by the Society to DDA as well as proof of payment made in respect of individual plot is required to be submitted alongwith the application.

Column 19

The applicant is required to assess the conversion charges carefully on the basis of the formula and the notified land rates, applicable in respect of plots/shops as given in Annexure 'A' and 'B'

Column 20

Surcharge is required to be paid in the cases where the application is submitted by the Attorney of the lessee/sub-lessee / allottee and conversion is sought in favour of a person other than the allottee / lessee / sub-lessee. The amount of surcharge is 33 1/3 % of the prescribed conversion charges.

1. निर्मित व्यावसायिक प्लॉटों/दि.वि.प्रा. की दुकानों/औद्योगिक प्लॉटों के लिए दिनांक 31-03-2017 तक लागू परिवर्तन शुल्क प्रति 100 एफ.ए.आर. नीचे तालिका में दी गई अधिसूचित दरों के अनुसार होगा :
Conversion fee applicable up to 31-03-2017 for built up commercial Plots/DDA's Shops/Industrial Plots will be as per the notified rates per 100 FAR given below in the Table:

जोन Zone	प्रति वर्ग मीटर परिवर्तन शुल्क Conversion fee per sq. mts. व्यावसायिक/निर्मित दुकानें Commercial/Built up shops	औद्योगिक प्लॉट Industrial Plots
1. केन्द्रीय जोन/Central Zone	1,05,620/- रुपये
2. दक्षिणी जोन /South Zone	45,670/- रुपये	26,080/- रु.
3. पश्चिमी जोन /West Zone	35,696/- रुपये	17,870/- रु.
4. उत्तरी जोन /North Zone (Other then Mangolpuri) मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, केशोपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं मैन्यु उद्योग नगर Mangolpuri Industl Area, Keshavpur Indst. Area & manufacturing udyog Nagar.	24,892/- रुपये	17,870/- रु. 19,960/- रु.
5. पूर्वी जोन /East Zone	9,640/- रुपये	11,150/- रु.

- II. एक कालिक परिवर्तन शुल्क के परिकलन का फार्मूला
Formula for calculation of one time conversion fee
- (i). मिश्रित भूमि उपयोग वाले प्लॉटों सहित व्यावसायिक लीज होल्ड प्लॉटों के मामले में
In case of commercial lease hold plots including mixed land use plots.

अनुमय तल क्षेत्रफल अथवा प्लॉट क्षेत्रफल, जो कि अधिक हो permissible floor area or plot area whichever is higher	X	आवेदन की तिथि को अधिसूचित दि.वि.प्रा. भूमि दरें notified DDA land rates as on the date of application	X	10 / 100
	X		X	

(ii) दि.वि.प्रा. की निर्मित दुकानों के मामले में

In case of DDA's built up shops

1.2	X	आबंटन एव माँग पत्र में यथा निर्दिष्ट दुकान क्षेत्रफल	X	आवेदन की तिथि को अधिसूचित दि.वि.प्रा. भूमि दरें	X	10/100
1.2	X	shop area as indicated in the allotment- cum-demand letter.		notified DDA land rates as on date of application	X	10/100

(iii) औद्योगिक लीज होल्ड प्लोटों के मामले में

In case of Industrial Leased hold plots

प्लॉट क्षेत्रफल	X	आवेदन की तिथि को अधिसूचित दि.वि.प्रा. भूमि दरें (औद्योगिक)		X	10/100
Plot Area	X	notified DDA land rates (Industrial) as on the date of application		X	10/100

टिप्पणी : मूल पट्टेदार के मामले में परिवर्तन प्रभारों पर **40%** की छूट की अनुमति दी जाएगी और अपने पक्ष में परिवर्तन चाहने वाले सामान्य मुख्तारनामा धारकों के मामले में सामान्य परिवर्तन प्रभारों के अतिरिक्त परिवर्तन शुल्क पर **33 1/3%** अधिभार का भुगतान करना होगा।

Note : A remission of **40%** will be allowed on the conversion charges in case of original lessees and a surcharge of **33 1/3%** on the conversion fee would be payable over and above the normal conversion charges in GPA cases.

दिल्ली के विभिन्न स्थानों / ज़ोनों में व्यावसायिक पट्टों के लिए लागू परिवर्तन दरें
CONVERSION RATES APPLICABLE FOR COMMERCIAL LEASES IN VARIOUS
LOCALITIES / ZONES OF DELHI

ज़ोन - उत्तरी
ZONE-NORTH

प्रति वर्ग मी. परिवर्तन भूमि दरें / 100 एफ ए आर
CONVERSION RATES PER SQ. MTR/100 FAR

क्रम सं. Sl. No.	स्थान का नाम Name of Locality	प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें Conversion Rates Per sqm.
1.	अशोक विहार / Ashok Vihar	Rs. 77815/-
2.	आजादपुर / Azadpur	यथा -do-
3.	भरोला / Bharolla	यथा -do-
4.	डेरावाल / Derawal	यथा -do-
5.	गुजरावाल / Gujranwal	यथा -do-
6.	गुलाबी बाग / Gulabi Bagh	यथा -do-
7.	जी.टी. करनाल रोड / G.T. Karnal Road	यथा -do-
8.	गोपालपुर / Gopalpur	यथा -do-
9.	हैदरपुर / Haiderpur	यथा -do-
10.	जहांगीर पुरी / Jahangirpuri	यथा -do-
11.	किंग्सवे कैम्प / Kingsway Camp	यथा -do-
12.	लारेंस रोड / Lawrence Road	यथा -do-
13.	लोक विहार / Lok Vihar	यथा -do-
14.	मंगोलपुरी / Mangolpuri	यथा -do-
15.	मुखर्जी नगर / Mukherjee Nagar	यथा -do-
16.	नरेला / Narela	यथा -do-
17.	न्यू गुप्ता कॉलोनी / New Gupta Colony	यथा -do-
18.	पीतमपुरा / Pitampura	यथा -do-
19.	प्रशांत विहार / Prashant Vihar	यथा -do-
20.	प्रताप बाग / Pratap Bagh	यथा -do-
21.	पुष्पांजलि / Pushpanjali	यथा -do-
22.	रामपुरा / Rampura	यथा -do-
23.	रानीबाग / Rani Bagh	यथा -do-
24.	रोहिणी / Rohini	यथा -do-
25.	रोहतक रोड / Rohtak Road	यथा -do-
26.	सरस्वती विहार / Saraswati Vihar	यथा -do-
27.	शक्ति नगर / Shakti Nagar	यथा -do-
28.	शालीमार बाग / Shalimar Bagh	यथा -do-
29.	श्रीनगर / Sri Nagar	यथा -do-
30.	टैगोर पार्क / Tagore Park	यथा -do-
31.	टी. सी आजादपुर / T. C. Azad Pur	यथा -do-
32.	तिमारपुर / Timarpur	यथा -do-
33.	टिकड़ी कलां / Tikri Kalan	यथा -do-
34.	वजीरपुर / Wazirpur	यथा -do-

दिल्ली के विभिन्न स्थानों / ज़ोनों में व्यावसायिक पट्टों के लिए लागू परिवर्तन दरें
CONVERSION RATES APPLICABLE FOR COMMERCIAL LEASES IN VARIOUS
LOCALITIES/ZONES OF DELHI

ज़ोन - दक्षिण
ZONE-SOUTH

प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें / 100 एफ ए आर
CONVERSION RATES PER SQ. MTR/100 FAR

क्रम सं. Sl. No.	स्थान का नाम Name of Locality	प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें Conversion Rates Per sqm.
1.	अलकनंदा / Alak Nanda	Rs. 1,12,050/-
2.	आनंद लोक / Anand Lok	यथा -do-
3.	आनंद निकेतन / Anand Niketan	यथा -do-
4.	अर्जुन नगर / Arjun Nagar	यथा -do-
5.	औरविंदो प्लेस / Aurvindo Place	यथा -do-
6.	बदरपुर / Badarpur	यथा -do-
7.	बेर सराय / Ber Sarai	यथा -do-
8.	भरोला / Bharola	यथा -do-
9.	भीकाजी कामा प्लेस / Bhikaji Kama Place	यथा -do-
10.	चिराग एन्क्लेव / Chirag Enclave	यथा -do-
11.	चितरंजन पार्क / Chitrangan Park	यथा -do-
12.	कौस्मोपोलीटन / Cosmopolitan	यथा -do-
13.	दक्षिणपुरी / Dakshin Puri	यथा -do-
14.	डिफेंस कालोनी / Defence Colony	यथा -do-
15.	ई.पी.आर. कॉलोनी / E.P.R. Colony	यथा -do-
16.	ईस्ट ऑफ कैलाश / East of Kailash	यथा -do-
17.	ई.पी.डी.पी. कॉलोनी / EPDP Colony	यथा -do-
18.	फ्रेंड्स कॉलोनी / Friends Colony	यथा -do-
19.	गढ़ी गांव / Garhi Village	यथा -do-
20.	गीतांजलि / Geetanjali	यथा -do-
21.	ग्रेटर कैलाश / Greater Kailash	यथा -do-
22.	गुलमोहर पार्क / Gulmohar Park	यथा -do-
23.	एच.बी. सोसाइटी / H.B. Society	यथा -do-
24.	हौज खास / Hauz Khas	यथा -do-
25.	हेमकुंत कॉलोनी / Hemkunt Colony	यथा -do-
26.	आई.आई.टी. गेट / I.I.T. Gate	यथा -do-
27.	आई.एन.ए. मार्केट / I.N.A Market	यथा -do-
28.	जंगपुरा / Jangpura	यथा -do-
29.	कालकाजी / Kalkaji	यथा -do-
30.	कटवरिया सराय / Katwaria Sarai	यथा -do-
31.	खेल गांव (एशियाड) / Khel Gaon (AGVC)	यथा -do-
32.	कोटला मुबारकपुर / Kotla Mubarakpur	यथा -do-
33.	लाडो सराय / Lado Sarai	यथा -do-
34.	मदनगीर / Madangir	यथा -do-
35.	महारानी बाग / Maharani Bagh	यथा -do-
36.	महिपालपुर / Mahipalpur	यथा -do-

37.	महरौली / Mehrauli	यथा -do-
38.	मस्जिद मोठ / Masjid Moth	यथा -do-
39.	मसूदपुर / Masoodpur	यथा -do-
40.	मोतीबाग / Moti Bagh	यथा -do-
41.	मुनीरका / Munirka	यथा -do-
42.	नेहरू प्लेस / Nehru Place	यथा -do-
43.	न्यू-फ्रेंड्स कॉलोनी / New Friends Colony	यथा -do-
44.	नीतिबाग / Niti Bagh	यथा -do-
45.	ओखला / Okhla	यथा -do-
46.	पैम्पोश एन्क्लेव / Pamposh Enclave	यथा -do-
47.	पंचशील पार्क / Panchsheel Park	यथा -do-
48.	पुल पहलादपुर / Pul Pahladpur	यथा -do-
49.	आर.के.पुरम / R. K. Puram	यथा -do-
50.	साधना एन्क्लेव / Sadhna Enclave	यथा -do-
51.	सफदरजंग एरिया / एन्क्लेव / Safdarjung Area/Enclave	यथा -do-
52.	सैदुला जैब / Saidullah Jab	यथा -do-
53.	साकेत / Saket	यथा -do-
54.	सराय जुलियाना / Sarai Julliana	यथा -do-
55.	सरिता विहार / Sarita Vihar	यथा -do-
56.	सर्व प्रिय विहार / Sarv Priya Vihar	यथा -do-
57.	सर्वोदय ऐंक्लेव / Sarvodaya Colony/Enclave	यथा -do-
58.	शाहपुर जाट / Shahpur Jat	यथा -do-
59.	शान्ति निकेतन / Shanti Niketan	यथा -do-
60.	सिद्धार्थ एन्क्लेव / Sidhartha Enclave	यथा -do-
61.	सुखदेव विहार / Sukhdev Vihar	यथा -do-
62.	स्वामी नगर / Swami Nagar	यथा -do-
63.	वसंत एन्क्लेव / Vasant Enclave	यथा -do-
64.	वसंत कुंज / Vasant Kunj	यथा -do-
65.	वसंत विहार(डी.डी.ए. भूमि) / Vasant Vihar (DDA Land)	यथा -do-
66.	विजय मंडल एन्क्लेव / Vijay Mandal Enclave	यथा -do-
67.	वेस्टेंड कॉलोनी / Westend Colony	यथा -do-
68.	युसुफ सराय / Yusuf Sarai	यथा -do-
69.	जमरूदपुर / Zamroodpur	यथा -do-

दिल्ली के विभिन्न स्थानों / ज़ोनों में व्यावसायिक पट्टों के लिए लागू परिवर्तन दरें
CONVERSION RATES APPLICABLE FOR COMMERCIAL LEASES IN VARIOUS
LOCALITIES/ZONES OF DELHI

ज़ोन – पूर्व
ZONE- EAST

प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें / 100 एफ ए आर
CONVERSION RATES PER SQ. METR/100 FAR

क्रम सं. Sl. No.	स्थान का नाम Name of Locality	प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें Conversion Rates Per sqm.
1.	आनंद विहार / Anand Vihar	Rs. 77,815/-
2.	चिल्ला / Chilla	यथा -do-
3.	दल्लूपुरा / Dallupura	यथा -do-
4.	दयानंद विहार / Dayanand Vihar	यथा -do-
5.	डिफेंस एन्क्लेव (पूर्वी दिल्ली) / Defence Enclave (East Delhi)	यथा -do-
6.	दिलशाद गार्डन / Dilshan Garden	यथा -do-
7.	गाजीपुर / Gazipur	यथा -do-
8.	गीता कॉलोनी / Geeta Colony	यथा -do-
9.	झिलमिल / Jhilmil	यथा -do-
10.	कड़कडडूमा / Karkardooma	यथा -do-
11.	खिचड़ीपुर / Khichripur	यथा -do-
12.	कोंडली घरौली / Kondli Gharoli	यथा -do-
13.	लोनी रोड / Loni Road	यथा -do-
14.	लक्ष्मी नगर / Laxmi Nagar	यथा -do-
15.	मधुबन / Madhuban	यथा -do-
16.	मंडावली फाजलपुर / Mandavali Fazalpur	यथा -do-
17.	मयूर प्लेस / Mayur Place	यथा -do-
18.	मयूर विहार / Mayur Vihar	यथा -do-
19.	नंद नगरी / Nand Nagri	यथा -do-
20.	नवजीवन विहार / Navjeevan Vihar	यथा -do-
21.	न्यू राजधानी एन्क्लेव / New Rajadhani Enclave	यथा -do-
22.	निर्माण विहार / Nirman Vihar	यथा -do-
23.	पटपड़गंज / Patparganj	यथा -do-
24.	प्रीत विहार / Preet Vihar	यथा -do-
25.	राम विहार / Ram Vihar	यथा -do-
26.	सैनी एन्क्लेव / Saini Enclave	यथा -do-

27.	सविता विहार / Savita Vihar	43,923/-
28.	शाहदरा / Shahdara	यथा -do-
29.	शास्त्री पार्क / Shastri Park	यथा -do-
30.	श्रेष्ठ विहार / Shreshta Vihar	यथा -do-
31.	सूरजमल विहार / Surajmal Vihar	यथा -do-
32.	स्वास्थ्य विहार / Swastha Vihar	यथा -do-
33.	त्रिलोकपुरी / Trilokpuri	यथा -do-
34.	वसुंधरा एन्क्लेव / Vasundhara Enclave	यथा -do-
35.	विज्ञान विहार / Vigyan Vihar	यथा -do-
36.	विवेक विहार / Vivek Vihar	यथा -do-
37.	यमुना विहार / Yamuna Vihar	यथा -do-
38.	योजना विहार / Yojana Vihar	यथा -do-
39.	जाफराबाद / Zafrabad	यथा -do-

दिल्ली के विभिन्न स्थानों/जोनों में व्यावसायिक पट्टों के लिए लागू परिवर्तन दरें
CONVERSION RATES APPLICABLE FOR COMMERCIAL LEASES IN VARIOUS
LOCALITIES/ZONES OF DELHI

जोन -पश्चिम
ZONE-WEST

प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें/100 एफ ए आर
CONVERSION RATES PER SQ. MTR/100 FAR

क्रम सं. Sl. No.	स्थान का नाम Name of Locality	प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें Conversion Rates Per sqm.
1.	बोडेला / Bodella	Rs. 77,815/-
2.	चौखण्डी / Chaukhandi	यथा -do-
3.	द्वारिका / Dwarka	यथा -do-
4.	हरीनगर / Hari Nagar	यथा -do-
5.	जेल रोड / Jail Road	यथा -do-
6.	जनकपुरी / Janakpuri	यथा -do-
7.	ज्वालापुरी / Jawalपुरी	यथा -do-
8.	कीर्तिनगर / Kirti Nagar	यथा -do-
9.	लाजवन्ती गार्डन / Lajwanti Garden	यथा -do-
10.	मादीपुर / Madipur	यथा -do-
11.	मंगलापुरी / Manglapuri	यथा -do-
12.	मायापुरी / Mayapuri	यथा -do-
13.	मीराबाग / Meera Bagh	यथा -do-
14.	नांगल राय / Nangal Raya	यथा -do-
15.	नारायणा / Naraina	यथा -do-
16.	नज़फगढ़ / Nazafgarh	यथा -do-
17.	पंखा रोड / Pankha Road	यथा -do-
18.	पश्चिम पुरी / Paschim Puri	यथा -do-
19.	पश्चिम विहार / Paschim Vihar	यथा -do-
20.	पीरागढ़ी / Peera Garhi	यथा -do-
21.	प्रसाद नगर / Prasad Nagar	यथा -do-
22.	राजेन्द्र नगर / Rajinder Nagar	यथा -do-
23.	राजेन्द्र प्लेस / Rajindra Place	यथा -do-
24.	राजौरी गार्डन / Rajouri Garden	यथा -do-
25.	रोहतक रोड / Rohtak Road	यथा -do-
26.	सुभाष नगर / Subhash Nagar	यथा -do-
27.	टैगोर गार्डन / Tagore Garden	यथा -do-
28.	विकासपुरी / Vikaspuri	यथा -do-
29.	पंजाबी बाग / Punjabi Bagh	यथा -do-

दिल्ली के विभिन्न स्थानों / ज़ोनों में व्यावसायिक पट्टों के लिए लागू परिवर्तन दरें
CONVERSION RATES APPLICABLE FOR COMMERCIAL LEASES IN VARIOUS
LOCALITIES/ZONES OF DELHI

ज़ोन - केन्द्रीय
ZONE- CENTRAL & DWARKA

प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें / 100 एफ ए आर
CONVERSION RATES PER SQ. MTR/100 FAR

क्रम सं. Sl. No.	स्थान का नाम Name of Locality	प्रति वर्ग मी. परिवर्तन दरें Conversion Rates Per sqm.
1.	अजमेरी गेट / Ajmeri Gate	Rs. 1,12,050/-
2.	झंडेवालान / Jhandewalan	यथा -do-
3.	मोतिया खान / Motiya Khan	यथा -do-
4.	नरेला / Narela	Rs. 31,127/-

परिवर्तन प्रभार के परिकलन के लिए उदाहरण

क. दि.वि.प्रा. आबंटित मिश्रित भूमि उपयोग प्लॉटों सहित व्यावसायिक/औद्योगिक प्लॉटों के लिए

उदाहरण 1 :-

मान लीजिए कि किसी आबंटिती/फर्म/कंपनी के पास स्थानीय बाजार, शालीमार बाग में 100 वर्गमीटर का प्लॉट है, जिसका अनुमत तल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर है और प्लॉट का कब्जा अब भी मूल आबंटिती के पास है इस मामले में परिवर्तन प्रभार निकालने का सिद्धांत (फार्मूला) इस प्रकार होगा :-

$$\left(\frac{\text{पी. X आर X 10}}{100} \right) \text{ घटा 40\% छूट}$$

चूँकि पी. = प्लॉट के लिए अनुमत, अनुमत तल क्षेत्रफल क्योंकि यह प्लॉट क्षेत्रफल से अधिक है जो 400 मीटर है (केवल व्यावसायिक प्लॉटों के लिए)
चूँकि आर. = उत्तरी जोन के लिए वर्ष 2003-2004 के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित दरें, क्योंकि शालीमार बाग अनुबंध 'ख' में दी गई सूची के अनुसार उत्तरी जोन में पड़ता है, जो 24892/- रु. है।

चूँकि छूट = मूल आबंटिती/फर्म/कंपनी के मामले में लागू छूट जो 40% है
उक्त मूल्यों का प्रयोग करने पर परिवर्तन प्रभार निम्नलिखित होगा :-

i) $400 \times 24892 \times 10/100 = \text{Rs. } 9,95,680/-$

ii) उक्त मूल्य की 40% राशि इस प्रकार होगी :-

$$40/100 \times 9,95,680 = \text{Rs. } 3,98,272/-$$

इस प्रकार वास्तविक परिवर्तन प्रभार = $9,95,680 - 3,98,272 = 5,97,408/-$ रु.

500 रु. का कार्रवाई शुल्क भी परिवर्तन प्रभार में जोड़ा जाएगा, इसलिए देय परिवर्तन प्रभार 5,97,908/- रु. होगा।

उदाहरण 2 :-

मान लीजिए 'एक्स' नामक किसी आबंटिती/फर्म/कंपनी को शालीमार बाग में स्थित स्थानीय बाजार में 400 वर्गमीटर के रूप में अनुमत तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर) वाला 100 वर्गमीटर का एक प्लॉट आबंटित किया गया था। उसने यह प्लॉट 'ए' नामक व्यक्ति के पक्ष में बेचने के करार के साथ 'बाई' नामक व्यक्ति के पक्ष में सामान्य मुख्तारनामा (जनरल पावर ऑफ अटर्नी) निष्पादित किया और 'बाई' नामक व्यक्ति ने 'ए' नामक व्यक्ति के पक्ष में फ्री-होल्ड अधिकार देने के लिए आवेदन किया। इस मामले में परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा

$$\left(\frac{\text{पी. X आर X 10}}{100} \right) \text{ जमा } 33 \frac{1}{3}\% \text{ अधिभार}$$

चूँकि पी. = प्लॉट के लिए अनुमत, अनुमत तल क्षेत्रफल क्योंकि यह प्लॉट क्षेत्रफल, जो 400 वर्ग मीटर से अधिक है (केवल व्यावसायिक प्लॉटों के लिए)

चूँकि आर. = उत्तरी जोन के लिए वर्ष 2003-2004 के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित दरें, जो 24,892/- रु. है। क्योंकि शालीमार बाग अनुबंध 'ख' में दी गई सूची के अनुसार उत्तरी जोन में आता है।

चूँकि अधिभार $33 \frac{1}{3}\%$ ऐसे व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तन के लिए लागू है, जो मूल आवंटिती नहीं है और सम्पत्ति का अंतरण जीपी ए./विक्रय करार के माध्यम से किया गया है।

उक्त मूल्यों का प्रयोग करते हुए परिवर्तन प्रभार निम्नलिखित होगा :-

i) $400 \times 24892 \times 10/100 = \text{Rs. } 9,95,680/-$

ii) उक्त मूल्य की $33 \frac{1}{3}\%$ राशि इस प्रकार होगी :-

$$33 \frac{1}{3}\% / 100 \times 9,95,680 = \text{Rs. } 3,31,890/-$$

इसलिए वास्तविक परिवर्तन प्रभार = $9,95,680 + 3,31,890 = 13,27,570/-$ रु.

परिवर्तन प्रभार में 500 रु. का कार्रवाई शुल्क भी जोड़ा जाएगा, इसलिए देय परिवर्तन प्रभार 13,28,073/- रु. होगा।

ऐसे प्लॉटों, जिनका प्लॉट क्षेत्रफल है और अनुमत तल क्षेत्रफल नहीं है, को छोड़कर औद्योगिक प्लॉटों के परिवर्तन प्रभार का पता लगाने के लिए भी यही परिकलन किया जा सकता है।

उदाहरण -3

व्यावसायिक प्लॉटों सहित दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित निर्मित दुकानों के मामलों में :

मान लीजिए कि किसी आबंटिती / कंपनी / फर्म के पास शालीमार बाग में स्थानीय बाजार में कोई निर्मित दुकान है या समान माप 100 वर्गमीटर का व्यावसायिक प्लॉट है, तो इस मामले में परिवर्तन प्रभार निम्नलिखित होगा

$$\left(\frac{1.2 \times \text{दुकान का क्षेत्रफल} \times \text{आर} \times 10}{100} \right) \text{ घटा } 40\% \text{ छूट}$$

चूकि पी. = मांग एवं आबंटन पत्र के अनुसार निर्मित दुकान का क्षेत्रफल, जो 100 वर्गमीटर है

चूकि आर. = उत्तरी जोन के लिए वर्ष 2003-2004 के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित दरें जो 24892/- रु. है। क्योंकि अनुबंध 'ख' में दी गई सूची के अनुसार शालीमार बाग उत्तरी जोन में आता है।

चूकि छूट = मूल आबंटिती / फर्म / कंपनी के मामले में लागू छूट जा परिवर्तन प्रभारों की 40% है
उक्त मूल्यों का प्रयोग करने पर परिवर्तन प्रभार निम्नलिखित होगा :-

- i) 1.2×100 $24892 \times 10 / 100 = 298704/-$ रु.
- ii) उक्त मूल्य की 40% = $40/100 \times 2,98,704 = 1,19,482/-$ रु.
इसप्रकार वास्तविक परिवर्तन प्रभार = $2,98,704 - 1,19,482 = 1,79,222/-$ रु. होगा।

500 रु. का कार्रवाई शुल्क भी परिवर्तन प्रभारों में जोड़ा जाएगा, इसलिए देय परिवर्तन प्रभार 1,79,222/- रु. होगा।

उदाहरण -4

मान लीजिए 'एक्स' नामक किसी आबंटिती / फर्म / कंपनी को स्थानीय बाजार शालीमार बाग में 100 वर्गमीटर की एक निर्मित दुकान या समान आकार का व्यावसायिक प्लॉट है। उसने / उन्होंने 'ए' नामक व्यक्ति के पक्ष में विक्रय के करार के साथ 'वाई' नामक व्यक्ति के पक्ष में सामान्य पावर अटर्नी (जी.पी.ए) निष्पादित किया और 'वाई' नाम व्यक्ति ने 'ए' नामक व्यक्ति के पक्ष में फ्री होल्ड अधिकार देने के लिए आवेदन किया इस मामले में परिवर्तन प्रभार इस प्रकार होंगे :-

$$\left(\frac{1.2 \times \text{दुकान का क्षेत्रफल} \times \text{आर} \times 10}{100} \right) \text{ जमा } 33\frac{1}{3}\% \text{ अधिभार}$$

चूकि पी. = मांग एवं आबंटन पत्र के अनुसार निर्मित दुकान का क्षेत्रफल, जो 100 वर्गमीटर है

चूकि आर = उत्तरी जोन के लिए वर्ष 2003-2004 के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित दरें जो 24,892/- रु. है। क्योंकि अनुबंध 'ख' में दी गई सूची के अनुसार शालीमार बाग उत्तरी जोन में आता है।

चूकि अधिभार = $33\frac{1}{3}\%$ ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू है, जिसके पक्ष में परिवर्तन का आवेदन किया गया है, जो मूल आबंटिती नहीं है और सम्पत्ति का अंतरण जी.पी.ए / विक्रय करार के माध्यम से किया गया है।

उक्त मूल्यों का प्रयोग करते हुए परिवर्तन प्रभार निम्नलिखित होगा :-

- i) 1.2×100 $24,892 \times 10 / 100 = 2,98,704/-$ रु.
- ii) उक्त मूल्य की $33\frac{1}{3}\% = 33-1/3\%$ $100 \times 12,98,704 = 99,568/-$ रु. होगा।

इसलिए वास्तविक परिवर्तन प्रभार = $2,98,704 + 99,568 = 3,98,272/-$

परिवर्तन प्रभार में 500 रु. का कार्रवाई शुल्क भी जोड़ा जाएगा, इसलिए देय परिवर्तन प्रभार 3,98,772/- रु. होगा।

Illustration of Calculation of Conversion Charges**A. For Commercial/Industrial Plots including Mixed Land Use Plots Allotted by DDA****ILLUSTRATION-1**

Suppose an Allottee/Firm/Company is having a plot located at LSC Shalimar Bagh measuring 100 Sq. Mtrs., having permissible Floor area of 400 Sq. Mtrs. and the possession of the plot is still with the original allottee, the formula for working out Conversion charges in this case will be as under :

$$\left(\frac{P \times R \times 10}{100} \right) \text{ Minus } 40\% \text{ Rebate}$$

Where **P** = Permissible Floor Area allowed for the plot as this higher than the Plot Area which is 400 mtrs. (in case of Commercial Plots only).

Where **R** = Rates notified by the DDA, for the year 2003-2004 for North Zone as Shalimar Bagh falls in the North Zone as per the List at Annexure 'B' which is Rs. 24,892/-

Where, Rebate = Relaxation, application in case of Original Allottee/Firm/Company which is 40%

Substituting the above values the conversion charges will be:

$$1) \quad 400 \times 24,892 \times 10/100 = \text{Rs. } 9,95,680/-$$

$$2) \quad 40\% \text{ of the above value will be } 40/100 \times 9,95,680 = \text{Rs. } 3,98,272/-$$

Therefore the actual conversion charges = Rs. 9,95,680 – Rs. 3,98,272 = Rs. 5,97,408/-

Processing Fee of Rs. 500/- will also be added to the conversion charges hence conversion charges payable will be Rs. 5,97,908/-

ILLUSTRATION-2

Suppose an Allottee/Firm/Company 'X' was allotted a plot of 100 Sq. Mtrs. with permissible Floor Area (FAR) as 400 Sq. Mtrs. at Local Shopping centre at Shalimar Bagh. He executed a General Power of Attorney (GPA) in favour of person 'Y' with an agreement to sell in favour of person 'A' and person 'Y' applied for grant of free hold right in favour of person 'A' then the Conversion charges will be calculated as under:

$$\left(\frac{P \times R \times 10}{100} \right) \text{ Plus } 33 \frac{1}{3}\% \text{ Surcharge}$$

Where **P** = Permissible Floor Area allowed for the plot as this higher than the Plot Area which is 400 mtrs. (Only in case of Commercial Plots).

Where **R** = Rates notified by the DDA, for the year 2003-2004 for North Zone as Shalimar Bagh falls in the North Zone as per the List at Annexure 'B' which is Rs. 24,892/-

Where, Surcharge = 33 1/3%, applicable in case of conversion sought in favour of person who is not the Original Allottee and transfer of properties has taken place through GPA/Agreement to sell.

Substituting the above values the conversion charges will be:

$$i) \quad \text{Rs. } 400/- \times \text{Rs. } 24,892/- \times 10/100 = \text{Rs. } 9,95,680/-$$

$$ii) \quad 33 \frac{1}{3}\% \text{ of the above value will be } 33 \frac{1}{3}\% / 100 \times 9,95,680 = \text{Rs. } 3,31,890/-$$

Therefore the actual conversion charges = Rs. 9,95,680/- + Rs. 3,31,890 = Rs. 13,27,573/- Processing Fee of Rs. 500/- will also be added to the conversion charges hence conversion charges payable will be Rs. 13,28,070/-

Similar calculation can be done in case of Industrial Plots except that only Plot Area and not the Permissible Floor Area has to be used to arrive at the Conversion Charges.

ILLUSTRATION-3

In case of Built-up Shops allotted by the DDA including Commercial Flats.

Suppose an Allottee/Company/Firms is having a built-up shops at Local Shopping centre in Shalimar Bagh or Commercial Flats of Shalimar Bagh measuring 100 Sq. Mtrs. The conversion charges will be as follows:

$$\left(\frac{1.2 \times \text{ShopArea} \times R \times 10}{100} \right) \text{ Minus } 40\% \text{ Rebate}$$

Where P = Area of built-up shop as per the demand cum allotment letter which is 100 Sq. Mtrs.

Where R = Rates notified by the DDA, for the year 2003-2004 for North Zone as Shalimar Bagh falls in the North Zone as per the List at Annexure 'B' which is Rs. 24,892/-

Where Rebate=Relaxation, applicable in case of original allottee/Firm/Company which is 40% of the conversion charges.

Substituting the above values the conversion charges will be:

- i) $1.2 \times 100 \times \text{Rs. } 24,892/- \times 10/100 = \text{Rs. } 2,98,704/-$
- ii) 40% of the above value will be $40/100 \times 2,98,704/- = \text{Rs. } 1,19,482/-$

Therefore the actual conversion charges = Rs. 2,98,704 – Rs. 1,19,482/- = Rs. 1,79,222/-

Processing Fee of Rs. 500/- will also be added to the conversion charges hence conversion charges payable will be Rs. 1,79,722/-.

ILLUSTRATION-4

Suppose an Allottee/Firm/Company 'X' is having a built up shop measuring 100 Sq. Mtrs. in LSC Shalimar Bagh or having the Commercial Flat of similar size. He/they executed a General Power of Attorney (GPA) in favour of person 'Y' with an agreement to sell in favour of person 'A' and person 'Y' applied for grant of free hold right in favour of person 'A' then the conversion charges will be as under :-

$$\left(\frac{1.2 \times \text{ShopArea} \times R \times 10}{100} \right) \text{ Plus } 33 \frac{1}{3}\% \text{ Surcharge}$$

Where P = Area of built-up shop as per the demand cum allotment letter which is 100 Sq. Mtrs.

Where R = Rates notified by the DDA, for the year 2003-2004 for North Zone as Shalimar Bagh falls in the North Zone as per the List at Annexure 'B' which is Rs. 24,892/-

Where Surcharge = 33 1/3% applicable in case of conversion sought in favour of person who is not the original allottee and transfer of properties taken place through GPA/Agreement to Sell

Substituting the above values the conversion charges will be:

- i) $1.2 \times 100 \times \text{Rs. } 24,892/- \times 10/100 = \text{Rs. } 2,98,704$
- ii) 33 1/3% of the above value will be $33 \frac{1}{3}\% / 100 \times \text{Rs. } 2,98,704 = \text{Rs. } 99,568/-$

Therefore the actual conversion charges = Rs. 2,98,704/- + Rs. 99,568/- = Rs. 3,98,272/-

Processing Fee of Rs. 500/- will also be added to the conversion charges hence conversion charges payable will be Rs. 3,98,772/-

परिवर्तन आदि के लिए स्व मूल्यांकन पत्र

1. आवेदन पत्र संख्या.....
2. सम्पत्ति का विवरण
(जो लागू न हो, उसे काट दें)
- क. प्लॉटों के लिए
 - (i) प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
 - (ii) प्लॉट का स्थान.....
 - (iii) अनुमैय निर्मित क्षेत्रफल, वर्गमी. में.....
(व्यावसायिक प्लॉट के मामले में)
- ख. दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित दुकानों एवं व्यावसायिक प्लॉटों के लिए
 - (i) दुकानों का क्षेत्रफल, वर्ग मी. में
(जैसा कि आबंटन एवं मांग पत्र में है)
 - (ii) स्थान.....
3. परिवर्तन प्रभार
(अनुबंध ए एवं बी के अनुसार)
(आवेदन पत्र के कालम 19 में उल्लेख करें)
4. अधिभार
यदि फ्री-होल्ड का अधिकार मूल पट्टेदार / उप-पट्टेदार / आबंटित(ियों) के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में किया जाना हो।
उपर्युक्त कॉलम 3 (i) में उल्लिखित परिवर्तन प्रभारों के 33-1/3% की दर से अधिभार की राशि (आवेदन-पत्र के कालम 20 में उल्लेख किया जाए)
5. परिवर्तन प्रभार एवं अधिभार का कुल योग
(3+4)
5.....रु०.....

(टिप्पणी : आवेदन-पत्र के कालम 21 में उल्लेख किया जाए)

SELF ASSESSMENT SHEET FOR CALCULATING CONVERSION ETC.

1. Application No.....

2. DETAILS OF THE PROPERTY :-

(Secore of paras not applicable)

A. For Plots

(i) Plot area in sq. mtrs.....

(ii) Locality of the plot.....

(iii) Permissible built up area in sq. m.....
(in case of commercial plot)

B. For DDA BUILT UP SHOPS/COMMERCIAL FLATS

(i) (Shops area in sq.m.....
(as in the allotment cum demand letter)

(ii) Locality

3. CONVERSION CHARGES:

(i) (As per Annexure A & B)
(to be mentioned in Col. 19 of the Application Form)

4. SURCHARGE :

In case the freehold rights are sought in favour of person other than the original lessee(s)/sub-lessee(s)/allottee(s)

Amount of surcharge @ 33-1/3% of the conversion charges mentioned in Col. 3(i) above =
(to be mentioned in Col. 20 of the Application Form)

**5. TOTAL OF CONVERSION CHARGES,
& SURCHARGE**

Total of Colum (3)+(4) above = Rs.....

(N.B.--- to be mentioned in Col. 21 of the Application Form)

वचन बन्ध

(यह वचन बन्ध उस व्यक्ति द्वारा दिया जाए, जिनके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है। यह वचन बंध 10/- रु. के नॉन- ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से विधिवत् साक्षात्कृत करवाया जाए।

मैं..... पुत्र / पुत्री / पत्नी
श्री..... निवासी

एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्न लिखित वचन देता / देती हूँ।

1. कि मैं के पाकेट ब्लॉक
सं..... के व्यावसायिक औद्योगिक प्लॉट / दुकान / व्यावसायिक प्लॉट (जो लागू न हो उसे काट
दे) सं वर्ग मी..... के सम्बंध में
भू-भाटक की बकाया और / अथवा उस पर लगे ब्याज की राशि का दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसके द्वारा मांगे जाने पर तत्काल भुगतान
कर दूंगा / दूंगी।
2. कि मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण को रखरखाव / सेवा प्रभार के रूप में उसके द्वारा मांगी जाने वाली राशि का तत्काल भुगतान कर दूंगा / दूंगी।
(केवल दुकानों एवं व्यावसायिक प्लॉटों के मामलों में लागू)
3. कि मैं भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा मुआवजे की अधिनिर्णीत राशि के रूप में कहने अथवा अपील किए जाने अथवा दोनों स्थितियों में बढ़ाए जाने
पर पट्टाकर्ता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति के प्राशुल्क के रूप में निर्धारित मांगी गई राशि अथवा राशियों का निर्धारित
अवधि के अंदर भुगतान कर दूंगा। इस संबंध में पट्टाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और मेरे लिए बाध्यकारी होगा। (नीलामी से बेचे गए प्लॉटों को
छोड़कर अन्यो पर लागू)
4. कि मेरे द्वारा उपर्युक्त किसी राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में उपर्युक्त सम्पत्ति के संबंध में लीज-होल्ड अधिकारों का फ्री-होल्ड अधिकारों में
परिवर्तन अकृत और शून्य माना जाएगा और पट्टाकर्ता / प्राधिकरण को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसे वसूल करने का हक होगा।
5. कि यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी समय यह पाया गया कि उपर्युक्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग
का प्रयोग दिल्ली की मुख्य योजना का उल्लंघन करके पट्टा विलेख / वास्तु नियंत्रण में विनिर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो मैं
तत्काल उस प्रयोग को बंद कर दूंगा।

आज..... के..... के.....
दिन को दिल्ली / नई दिल्ली में निष्पादित किया गया।

पट्टेदार / उप पट्टेदार / आबंटिती / क्रेता

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

साक्षी :

1.

2.

UNDERTAKING

(To be submitted by the person in whose favor conversion is sought on non-judicial stamp paper of Rs.10/- duly attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

I.....S/o,W/o,D/oSh.....
.....Resident of.....do
hereby undertake as under: -

1. That I shall pay to Delhi Development Authority, immediately on demand, such amount as may be demanded by it on account of arrears of ground rent and /or interest thereon, in respect of Commercial/Industrial Plot/Shop/Commercial Flat (* strike off whichever is not applicable) Plot No..... at.....
2. That I shall pay to Delhi Development Authority, immediately on demand, such amount, as may be demanded by it on account of maintenance/service charges (applicable only in case of shops/Commercial flats).
3. That I shall pay, within such time such additional sum or sums towards premium of the above referred property, as may be decided upon by the lessor on account of compensation awarded by the Land Acquisition Collector being enhanced on reference or in appeal or both and the decision of the lessor in this behalf shall be final and binding on me (applicable only in case of plots other than those sold in auction).
4. That on my failure to pay any sum referred above the conversion of lease hold rights into free hold rights in respect of the above referred property shall be deemed to be null and void and the lessor / Authority shall be entitled to recover the same as arrears of land revenue.
5. That if it is found by Delhi Development Authority or any other local Authority, at any point of time, that the above referred property or any part thereof is being used for the purposes other than specified in the lease deed architect control, in violation of the Master Plan of Delhi, I shall, forthwith, stop such use.

Day of.....20.....

Lessee/sub-lessee/Allottee/Purchaser.

In the presence of,

1.

2.

शपथ-पत्र

(यह शपथ पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाए जिनके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है यह वचन बंध 10/- रु. के नॉन - जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तथा इसे नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित करवाया जाए।

मैं..... पुत्र / सुपुत्री / पत्नी
श्री..... निवासी.....

एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्न प्रकार प्रतिज्ञान और घोषणा करता / करती हूँ :-

1. कि मैं के पाकेट..... ब्लॉक सं०..... के
व्यावसायिक / औद्योगिक प्लॉट / दुकान जो लागू न हो उसे काट दें) सं०..... वर्ग मी०..... का
पट्टेदार / उप पट्टेदार / आबंटिती हूँ और मेरे पास उपर्युक्त प्लॉट / प्लैट का वास्तविक कब्जा है

अथवा
कि मेरे पास..... के पाकेट..... ब्लॉक
सं. के व्यावसायिक औद्योगिक प्लॉट / दुकान / व्यावसायिक प्लैट (जो लागू न हो उसे काट दें)
सं०....., वर्ग मी०..... के संबंध में दिनांक..... को मेरे पक्ष में
निष्पादित वैद्य कि विक्रय करने के करार के अंतर्गत उसका वास्तविक कब्जा है।

2. कि पट्टे / उपपट्टे आबंटन पत्र के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति का निर्धारित उपयोग केवल व्यावसायिक / औद्योगिक, जैसी भी स्थिति हो, हेतु है।
(जो लागू न हो उसे काट दें।)
3. कि उपर्युक्त सम्पत्ति के अद्यतन भू-भाटक का भुगतान कर दिया गया है।
4. कि उपर्युक्त सम्पत्ति के संबंध में लीज़-होल्ड अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में बदलने के लिए संलग्न आवेदन-पत्र में दिये तथ्य सही एवं सत्य हैं और संलग्न दस्तावेज असली हैं।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

आज के के दिन
को दिल्ली में सत्यापित किया जाता है कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त शपथ-पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य हैं। इसमें
दिया गया कोई भी अंश असत्य नहीं है और इसमें कोई भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

AFFIDAVIT

(To be sworn by the person in whose favor the conversion is sought on non-judicial stamp paper of Rs.10/- duly attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

I S/o, D/o, W/o
Sh.....R/o.....do hereby solemnly affirm and declare
as under:-

1. That I am the lessee/sub-lessee/allottee in physical possession of the Commercial/Industrial plot/shop (strike off whichever is not applicable) no.....measuring.....sq.m. in Block no..... Pkt.....in.....

OR

That I am in physical possession, under a valid agreement to sell dt.....executed
in my favour in respect of the Commercial/Industrial plot/shop Commercial Flat (strike off whichever is not applicable)
no....., Measuring.....sq. mtrs.....in
Block.....no.....pkt.....in.....

2. That the prescribed use of the aforesaid property, as per the lease/sub-lease of allotment is only Commercial/Industrial (strike off whichever is not applicable).
3. That up to date ground rent has been paid in respect of the above referred property.
4. That the contents of the accompanying application for conversion of lease hold rights into free hold rights in respect of the above referred property are true and correct and the documents annexed thereto are genuine.

DEPONENT

VERIFICATION

Verification at Delhi this.....day of.....20..... that the contents of the above affidavit are true & correct to the best my knowledge and belief. Nothing contained herein is untrue and nothing material is concealed therefrom.

DEPONENT

(यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र 100/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा निष्पादित किया जाए और इसे नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी द्वारा साक्षात्कृत करवाया जाए।)

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र आज सन्.....के.....मास
के.....दिन को श्री/श्रीमति/कुमारी.....निवासी
पुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....
निवासी.....(जिसे आगे "निष्पादक"
कहा गया है) द्वारा निष्पादित किया गया है। निष्पादक शब्द में निष्पादक के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासन और कानूनी समनुदेशिता शामिल
है। यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र भारत के राष्ट्रपति/दिल्ली विकास प्राधिकरण (जिन्हें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है) के पक्ष में किया गया है। पट्टाकर्ता
शब्द में पट्टाकर्ता के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशिता शामिल है।

जबकि निष्पादक.....के पाकेट.....के ब्लॉक
सं०.....के प्लॉट सं०.....वर्गमी०.....का
पट्टेदार/उपपट्टेदार/आबंटिती है और उसके पास उक्त व्यावसायिक/औद्योगिक प्लॉट/दुकान/व्यावसायिक प्लैट (जो लागू न हो उसे काट
दें) का वास्तविक कब्जा है।

जबकि निष्पादक.....के पॉकेट.....के
ब्लॉक.....के प्लॉट/पलैट सं०.....वर्गमी०.....
के स्वामी श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....का
विधिवत् नियत अटर्नी है। और पट्टेदार/उप पट्टेदार/आबंटिती की ओर से बिक्री अनुमति प्राप्त करने, बिक्री विलेख निष्पादित करने और इसे
पंजीकृत कराने के लिए सक्षम है।

और जबकि निष्पादक ने उपर्युक्त सम्पत्ति के संबंध में लीज होल्ड अधिकार को फ्री-होल्ड अधिकार में बदलने के लिए पट्टाकर्ता के पास
आवेदन किया है।

और जबकि पट्टाकर्ता प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन और विश्वास के आधार पर उक्त संदर्भित संपत्ति को लीज-होल्ड अधिकार से फ्री-होल्ड
अधिकार में बदलने के लिए सहमत हो गया है बशर्ते कि निष्पादक उक्त अधिकार बदलने के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली क्षति/हानि की
पूर्ति करेगा और इस कारण किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा पट्टाकर्ता के विरुद्ध किए गये दावे के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली हानि की
क्षतिपूर्ति करेगा।

अब यह विलेख साक्षी है कि जबकि पट्टाकर्ता उपर्युक्त सम्पत्ति के लीज-होल्ड अधिकार को फ्री होल्ड अधिकार में बदलने के लिए सहमत हो
गया है। और निष्पादक एतद्वारा पट्टाकर्ता से सहमत हो गया है। कि वह किसी भी कारणवश उपर्युक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के सम्बंध में
किसी भी आधार पर किये सभी दावों और मांगों तथा किसी व्यक्ति द्वारा उक्त पट्टाकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों और कार्यवाहियों के
कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा और पट्टाकर्ता को कोई हानि नहीं होने देगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप निष्पादक श्री/श्रीमति/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....ने.....
के.....के.....दिन को इस बंध-पत्र
पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा बंध-पत्र जारी कर दिया है।

निष्पादक

साक्षी

1.

2.

(To be executed by the applicant on Non-Judicial Stamp Paper of Rs. 100/- and to be attested by Notary Public/
First Class Magistrate.)

INDEMNITY BOND

Day of20.....by Sh./Smt./Km.
S/o, W/o, D/o Sh.
R/o (hereinafter called the 'Executant' which term shall
include his/her heirs, successors, executors, administrators and legal assigns in favour of President of India/Delhi
Development of Authority (hereinafter called the 'Lessor') which term shall include its heirs, successors, executors
administrators and legal assigns.

WHEREAS the Executant is the Lessee/Sub-Lessee/Allottee in physical possession of the Commercial/ Industrial in Block
No: Pocketin

OR

WHEREAS the Executant is the duly constituted attorney of Sh./Smt./Km.
In Block No:Pocketinand
is competent to seek sale permission, execute the sale deed and get it registered on behalf of the Lessee/ Sub
Lessee/Allottee.

AND WHEREAS the Executant has applied to the lessor for conversion of lease hold rights into freehold rights in respect of the
above referred property.

AND WHEREAS the lessor, on the faith and representation made to it has agreed to convert leasehold rights in respect of the
above referred property into freehold rights subject to the Executant giving such indemnity, as is hereinafter contained and
keeping the lessor harmless from any claim which anyone may, at any time, institute against the lessor in respect of the
above referred property.

Now this deed witness that in consideration of the lessor agreeing to convert the leasehold rights in respect of the above
referred property into freehold rights, the executant hereby covenants with the lessor that he will at all times indemnify and
keep harmless the said lessor from all claims and demands made and **all action and proceedings** taken against the
said lessor by anyone in respect of the aforesaid property or any part thereof, on any ground whatsoever.

On the day of20.....

Executant

Witness

1.

2.

(यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र द्वारा निष्पादित किया जाए जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाता है। यह बंध-पत्र 100/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षात्कृत करवाया जाए।)

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र आज सन्.....के.....मास के.....दिन को श्री/श्रीमति/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी.....(जिसे आगे "निष्पादक" कहा गया है) द्वारा निष्पादित किया गया है। 'निष्पादक' शब्द में निष्पादक के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशिनी शामिल है। यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र भारत के राष्ट्रपति/दिल्ली विकास प्राधिकरण (जिन्हें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है) के पक्ष में किया गया है। पट्टाकर्ता शब्द में पट्टाकर्ता के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, और कानूनी समनुदेशिनी शामिल है।

जबकि निष्पादक के पास.....में पाकेट.....के ब्लॉक सं०.....के प्लॉट/प्लैट सं०.....वर्गमी०.....का उसके पक्ष में दिनांक.....को निष्पादित बैध 'विक्रय करने के करार' के अंतर्गत वास्तविक कब्जा है।

और जबकि पट्टाकर्ता उसे किये गये आवेदन की सत्यनिष्ठा पर विश्वास करते हुए उपर्युक्त सम्पत्ति को लीज-होल्ड अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में बदलने के लिए सहमत हो गया है। बशर्ते कि निष्पादक उक्त अधिकार बदलने के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली क्षति/हानि की पूर्ति करेगा और इस कारण किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा पट्टाकर्ता के विरुद्ध किये गये दावे के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।

अब यह विलेख साक्षी है कि जबकि पट्टाकर्ता उपर्युक्त सम्पत्ति के लीज-होल्ड अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकार में बदलने के लिए सहमत हो गया है, और निष्पादक एतद्वारा पट्टाकर्ता से सहमत हो गया है कि वह किसी भी कारणवश उपर्युक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के सम्बंध में किसी भी आधार पर किये सभी दावों और मांगों तथा किसी व्यक्ति द्वारा उक्त पट्टाकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली कारवाइयों और कार्यवाहियों के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा और पट्टाकर्ता को कोई हानि नहीं होने देगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप निष्पादक श्री/श्रीमति/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....ने.....के.....के.....दिन को इस बंध-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा बंध-पत्र जारी कर दिया है।

निष्पादक

साक्षी :

1.

2.

(To be executed by the person in whose favour conversion is required on Non-judicial stamp paper of Rs. 100/- and to be attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

INDEMNITY BOND

This Indemnity Bond is executed on this day of20.....by Sh./Smt./Km. S/o, W/o, D/o Sh. R/o (hereinafter called the 'Executant' which term shall include his/her heirs, successors, executors, administrators and legal assigns in favour of President of India/Delhi Development of Authority (hereinafter called the 'Lessor') which term shall include its heirs, successors, executors administrators and legal assigns.

WHEREAS the Executant is in physical possession of the Plot/Flat No: measuring Sq. Mtrs. in Block No: Pocketin under a valid agreement to sell dt. executed in his/her favour.

AND WHEREAS the lessor, on the faith and representation made to it has agreed to convert leasehold rights in respect of the above referred property into freehold rights subject to the Executant giving such indemnity, as is hereinafter contained and keep the lessor harmless from any claim which anyone may, at any time, institute against the lessor in respect of the above referred property.

NOW THIS DEED WITNESS that in consideration of the lessor agreeing to convert the leasehold rights in respect of the above referred property into freehold rights, the executant hereby covenants with the lessor that he will at all times indemnify and keep harmless the said lessor from all claims and demands made and all action and proceeding taken against the said lessor by anyone in respect of the aforesaid property or any part thereof, on any ground whatsoever.

In witness whereof the Executant Sh./Smt./Km. S/o. W/o. D/o. of Sh. has signed and delivered this bond on this day of 20.....

Executant

Witness

1.

2.

उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है, के नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत
नमूना हस्ताक्षर और पासपोर्ट आकार के फोटो

**SPECIMEN SIGNATURES AND PASSPORT SIZE PHOTOGRAPHS OF THE PERSON IN WHOSE FAVOUR
CONVERSION SHOULD DULY ATTESTED BY NOTARY/FIRST CLASS MAGISTRATE**

नाम / Name-----सुपुत्र / पत्नी / S/o, W/o-----
आवेदन पत्र सं० / Application No.-----सम्पत्ति सं० / Property
No.-----कालोनी / Colony-----

1.	(नमूना हस्ताक्षर) (Specimen signature)	साक्षात्कृत Attestation	फोटो चिपकाएं Affix Photograph
2.	(नमूना हस्ताक्षर) (Specimen signature)	साक्षात्कृत Attestation	फोटो चिपकाएं Affix Photograph
3.	(नमूना हस्ताक्षर) (Specimen signature)	साक्षात्कृत Attestation	फोटो चिपकाएं Affix Photograph
4.	(नमूना हस्ताक्षर) (Specimen signature)	साक्षात्कृत Attestation	फोटो चिपकाएं Affix Photograph

टिप्पणी : यदि आवेदक आबंटिती/उप पट्टेदार/पट्टेदार हो तो उसके फोटो तथा यदि आवेदक अटर्नी हो तो आवेदन पत्र के कालम '3' में नामित व्यक्ति के फोटो उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत किए जाएं।

NOTE: If the applicant is allotted/sublessee/lessee, then his/her photographs and in case of applicant being an attorney the photographs of person named in Column 3 of the application form are required to be submitted as above.

**भू-भाटक के भुगतान का ब्यौरा
DETAILS OF PAYMENT OF GROUND RENT**

क्रम संख्या Sl No.	चालान संख्या Challan No.	जमा करने की तिथि Date of Deposit	राशि Amount	अवधि Period	
				से From	तक To

(उपर्युक्त भुगतानों के प्रमाणों की साक्षात्कृत सत्य प्रतियाँ संलग्न की जाएँ)
(Attested true copies of the proofs of above payments to be enclosed)

पावती
ACKNOWLEDGEMENT
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)
(DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY)

पावती
ACKNOWLEDGEMENT
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)
(DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY)

आवेदन /Application

004149

श्री / श्रीमति / कु. Sh./Smt/Km.....

निवासी R/o.....से व्यावसायिक

सम्पत्ति.....के सम्बंध में लीज-होल्ड
से फ्री-होल्ड में परिवर्तन का आवेदन-पत्र निम्नलिखित दस्तवेजों सहित प्राप्त किया :-

Received Application from.....for
conversion of Lease hold rights into free hold in respect of Commercial
Property.....

.....alongwith documents as under :-

- (क) नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित वचनबध।
Undertaking duly attested by Notary Public/Magistrate 1st Class.
- (ख) नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित शपथ-पत्र।
Affidavit duly attested by Notary Public/Magistrate 1st Class.
- (ग) नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित क्षतिपूर्ति बंधपत्र।
Indemnity Bond duly attested by Notary Public/Magistrate 1st Class.
- (घ) नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित विक्रय करार सहित पावर
ऑफ अटर्नी की प्रति (जहाँ आवेदन अटर्नी द्वारा किया गया हो)
Copy of POA(s) alongwith Sale Agreement (Where application is made by
attorney), duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (च) नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित समापन प्रमाण-पत्र / 'डी'
फार्म की प्रतिलिपि (प्लॉट के सम्बंध में)
Copy of Completion /Certificate/"D"/Form (in respect of plot) duly attested
by Notary Public/Gazetted officer.
- (छ) जिस व्यक्ति के नाम परिवर्तन करवाना है, उसके वास्तविक कब्जे का प्रमाण,
जैसे- कब्जा पत्र, अथवा पर्ची/गृहकर रसीद/सम्पत्ति कर रसीद/राशनकार्ड/
पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस/पहचान-पत्र/आदि की प्रतिलिपि जो नोटरी
पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित होनी चाहिए।
Proof of Physical Possession of the person in whose name the
conversion is sought viz. copy of Possession letter or slip/housing tax receipt/property
tax receipt/Ration Card/Passport/Driving Licence/I-Card etc. duly attested
by Notary Public/Gazetted officer.
- (ज) उस व्यक्ति के चार पासपोर्ट साइज के साक्ष्यांकित फोटो और चार साक्ष्यांकित
नमूना हस्ताक्षर, जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है।
4 attested passport size photographs and 4 attested specimen signature of the person
in whose favour the Conversion is sought.
- (झ) संलग्नक 'एच' में भू-भाटक के भुगतान का विवरण
Details of Payment of ground rent in Annexure 'H'
- (ट) नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित पट्टाविलेख/
उप-पट्टाविलेख / हस्तांतरण विलेख / आबंटन पत्र की प्रतिलिपि
Copy of lease deed/sub-lease deed/conveyance deed/allotment letter duly attested
by Notary Public / Gazetted Officer.
- (ठ) नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बंधकदार से अनापति
प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
Copy of N.O.C. from the mortgagee duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (ड)
(संलग्न किए गए किसी अन्य दस्तावेज का उल्लेख करें)
(Any other documents annexed to be mentioned here)

दिनांक :-
Dated _____

बैंक की मोहर सहित प्राप्त कर्ता
लिपिक के हस्ताक्षर
Signature of the
Receipt Clerk, with seal of the Bank

आवेदन /Application

004149

श्री / श्रीमति / कु. Sh./Smt/Km.....

निवासी R/o.....से व्यावसायिक

सम्पत्ति.....के सम्बंध में लीज-होल्ड
से फ्री-होल्ड में परिवर्तन का आवेदन-पत्र निम्नलिखित दस्तवेजों सहित प्राप्त किया :-

Received Application from.....for
conversion of Lease hold rights into free hold in respect of Commercial
Property.....

.....alongwith documents as under :-

- (क) नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित वचनबध।
Undertaking duly attested by Notary Public/Magistrate 1st Class.
- (ख) नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित शपथ-पत्र।
Affidavit duly attested by Notary Public/Magistrate 1st Class.
- (ग) नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित क्षतिपूर्ति बंधपत्र।
Indemnity Bond duly attested by Notary Public/Magistrate 1st Class.
- (घ) नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित विक्रय करार सहित पावर
ऑफ अटर्नी की प्रति (जहाँ आवेदन अटर्नी द्वारा किया गया हो)
Copy of POA(s) alongwith Sale Agreement (Where application is made by
attorney), duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (च) नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित समापन प्रमाण-पत्र / 'डी'
फार्म की प्रतिलिपि (प्लॉट के सम्बंध में)
Copy of Completion /Certificate/"D"/Form (in respect of plot) duly attested
by Notary Public/Gazetted officer.
- (छ) जिस व्यक्ति के नाम परिवर्तन करवाना है, उसके वास्तविक कब्जे का प्रमाण,
जैसे- कब्जा पत्र, अथवा पर्ची/गृहकर रसीद/सम्पत्ति कर रसीद/राशनकार्ड/
पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस/पहचान-पत्र/आदि की प्रतिलिपि जो नोटरी
पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित होनी चाहिए।
Proof of Physical Possession of the person in whose name the
conversion is sought viz. copy of Possession letter or slip/housing tax receipt/property
tax receipt/Ration Card/Passport/Driving Licence/I-Card etc. duly attested
by Notary Public/Gazetted officer.
- (ज) उस व्यक्ति के चार पासपोर्ट साइज के साक्ष्यांकित फोटो और चार साक्ष्यांकित
नमूना हस्ताक्षर, जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है।
4 attested passport size photographs and 4 attested specimen signature of the person
in whose favour the Conversion is sought.
- (झ) संलग्नक 'एच' में भू-भाटक के भुगतान का विवरण
Details of Payment of ground rent in Annexure 'H'
- (ट) नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित पट्टाविलेख/
उप-पट्टाविलेख / हस्तांतरण विलेख / आबंटन पत्र की प्रतिलिपि
Copy of lease deed/sub-lease deed/conveyance deed/allotment letter duly attested
by Notary Public / Gazetted Officer.
- (ठ) नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बंधकदार से अनापति
प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
Copy of N.O.C. from the mortgagee duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (ड)
(संलग्न किए गए किसी अन्य दस्तावेज का उल्लेख करें)
(Any other documents annexed to be mentioned here)

दिनांक :-
Dated _____

बैंक की मोहर सहित प्राप्त कर्ता
लिपिक के हस्ताक्षर
Signature of the
Receipt Clerk, with seal of the Bank

**व्यावसायिक प्लॉटों हेतु
FOR COMMERCIAL PLOTS**

C: 004149

विकास सदन, आई.एन.ए. मार्केट के पास, नई दिल्ली-110023
VIKAS SADAN, NEAR INA MARKET, NEW DELHI- 110023

APPLICATION FORM FOR CONVERSION OF LEASE-HOLD PROPERTY INTO FREE - HOLD IN RESPECT OF **COMMERCIAL PLOTS**

**आवेदक का पासपोर्ट का आकार
का साक्षात्कृत फोटो
Attested Passport
size photo of applicant**

- (a) Name of the first Firm / Company allottee

Father/Husband's Name:

पता :

Address:

पिन / PIN

- (b) Name of the Second/Joint allottee/co-lessee/lessee, if applicable:

पिता / पति का नाम :

Father/Husband's Name:

पता:

Address:

पिन / PIN

- Name of the applicant
-
- (if attorney)

पिता/पति का नाम :

Father/Husband's Name:

पत्ता:-

Address:

पिन / PIN

- | | | | | |
|--------|--|--|--|---|
| 7. | यदि वास्तविक कब्जे की तिथि (यदि उपलब्ध हो) | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> |
| | Date of Physical Possession (If available) | | | |
| 8. | क्या पट्टा निष्पादित और पंजीकृत है | | | |
| | Whether the lease deed is executed and registered ? | | | |
| 9. | प्लॉटों के संबंध में पट्टा विलेख के पंजीकरण का विवरण, यदि कोई हो | | | |
| | Details of Registration of lease deed, if any in respect of plots | | | |
| | पंजीकरण सं०/Reg. No. | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> | बुक संख्या/Book No. | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px;"></div> |
| | खंड सं०/Vol. No. | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> | पृष्ठ /Page From | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> से / To <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> |
| | दिनांक / Date | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | |
| 10. | क्या सम्पत्ति का प्रयोग पट्टा विलेख /उप-पट्टा विलेख /आवंटन-पत्र के अनुसार है ? | | | |
| | Whether use of the property is as per lease deed/allotment letter ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| 11. i) | यदि नहीं, तो निर्धारित उद्देश्य से अलग प्रयोग किए जा रहे भाग का क्षेत्रफल | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></div> | | वर्गमीटर
Sq. Metre |
| | If not the area of the portion being used for the purpose other than the prescribed use. | | | |
| ii) | उपर्युक्त 11 (i) में बताए गए भाग में चलाए जा रहे कार्यकलाप का प्रकार | | | |
| | Type of activities being carried out in portion referred at 11(i) above. | | | |
| 12. | पट्टेदार /आवंटिती द्वारा निर्मित भवनों के लिए क्या समापन प्रमाणपत्र /'डी' फार्म संलग्न किया गया है ? | | | |
| | For the building constructed by the lessee/allottee, copy of completion certificate "D" form is enclosed ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| 13. i) | क्या सम्पत्ति बंधक रखी है ? | | | |
| | Whether property stands Mortgaged ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| ii) | यदि हाँ, तो क्या बंधकदार (रो) से लिया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र, संलग्न किया गया है ? | | | |
| | If Yes' whether no objection certificate from the mortgagee(s) enclosed ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| 14. i) | क्या पट्टे /आवंटन को रद्द किया गया /सम्पत्ति का पुनराधिकार प्राप्त किया गया ? | | | |
| | Whether the lease/allotment was cancelled/property re-entered ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| ii) | यदि हाँ, तो क्या बहाल किया गया ? | | | |
| | If Yes, whether restored ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| 15. | क्या सम्पत्ति के हक के संबंध में न्यायालय में कोई विवाद अनिर्णित पड़ा है ? | | | |
| | Whether there is any dispute pending in a court of law regarding the title of the property ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| 16. | क्या प्रतिस्थापन / नामान्तरण के लिए कोई आवेदन विचाराधीन है ? | | | |
| | Whether any application for substitution/Mutation is pending ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| 17. | क्या परिसर में अनधिकृत निर्माण किया गया है ? | | | |
| | Whether there is unauthorised construction in the premises ? | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">हाँ
YES</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">नहीं
NO</div> | |
| 18. i) | आवंटन-पत्र / मांग पत्र के अनुसार वार्षिक भू-भाटक की राशि | | | |
| | Amount of yearly Ground Rent | रूपये
Rs. | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | |

- | | | | |
|--------|--|---|---|
| 7. | यदि वास्तविक कब्जे की तिथि (यदि उपलब्ध हो) | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | |
| | Date of Physical Possession (If available) | | |
| 8. | क्या पट्टा निष्पादित और पंजीकृत है | | |
| | Whether the lease deed is executed and registered ? | | |
| 9. | प्लॉटों के संबंध में पट्टा विलेख के पंजीकरण का विवरण, यदि कोई हो | | |
| | Details of Registration of lease deed, if any in respect of plots | | |
| | पंजीकरण सं०/Reg. No. | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | बुक संख्या/Book No. |
| | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> |
| | खंड सं०/Vol. No. | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | पृष्ठ /Page From |
| | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | से /To |
| | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> |
| | दिनांक / Date | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | |
| 10. | क्या सम्पत्ति का प्रयोग पट्टा विलेख / उप-पट्टा विलेख / आबंटन-पत्र के अनुसार है ? | | |
| | Whether use of the property is as per lease deed/allotment letter ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| 11. i) | यदि नहीं, तो निर्धारित उद्देश्य से अलग प्रयोग किए जा रहे भाग का क्षेत्रफल | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | वर्गमीटर
Sq. Metre |
| | If not the area of the portion being used for the purpose other than the prescribed use. | | |
| ii) | उपर्युक्त 11 (i) में बताए गए भाग में चलाए जा रहे कार्यकलाप का प्रकार | | |
| | Type of activities being carried out in portion referred at 11(i) above. | | |
| 12. | पट्टेदार/आबंटिती द्वारा निर्मित भवनों के लिए क्या समापन प्रमाणपत्र/ 'डी' फार्म संलग्न किया गया है ? | | |
| | For the building constructed by the lessee/allottee, copy of completion certificate "D" form is enclosed ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| 13. i) | क्या सम्पत्ति बंधक रखी है ? | | |
| | Whether property stands Mortgaged ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| ii) | यदि हाँ, तो क्या बंधकदार (रो) से लिया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र, संलग्न किया गया है ? | | |
| | If Yes' whether no objection certificate from the mortgagee(s) enclosed ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| 14. i) | क्या पट्टे/आबंटन को रद्द किया गया/सम्पत्ति का पुनराधिकार प्राप्त किया गया ? | | |
| | Whether the lease/allotment was cancelled/property re-entered ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| ii) | यदि हाँ, तो क्या बहाल किया गया ? | | |
| | If Yes, whether restored ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| 15. | क्या सम्पत्ति के हक के संबंध में न्यायालय में कोई विवाद अनिर्णित पड़ा है ? | | |
| | Whether there is any dispute pending in a court of law regarding the title of the property ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| 16. | क्या प्रतिस्थापन/नामान्तरण के लिए कोई आवेदन विचाराधीन है ? | | |
| | Whether any application for substitution/Mutation is pending ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| 17. | क्या परिसर में अनधिकृत निर्माण किया गया है ? | | |
| | Whether there is unauthorised construction in the premises ? | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">हाँ
YES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center;">नहीं
NO</div> | |
| 18. i) | आबंटन-पत्र/मांग पत्र के अनुसार वार्षिक भू-भाटक की राशि | | |
| | Amount of yearly Ground Rent | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | रुपये
Rs. |

- ii) क्या देरी से किए गए भुगतान के ब्याज, यदि कोई हो, सहित अद्यतन भू-भाटक अदा कर दिया गया है ?
Whether upto date ground rent alongwith interest for belated payment, if any, has been paid ?

हाँ YES	नहीं NO
------------	------------

19. देय परिवर्तन प्रभारों का स्वतः निर्धारण
Self Assessment of Conversion charge Payable

आवेदक से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित कालम भरने से पहले आवेदन-पत्र के परिशिष्ट में निर्धारण आधार पर परिवर्तन आदि प्रभारों का हिसाब लगा लें।
Applicant is requested to calculate conversion charges etc. on self-assessment basis in the Appendix to the application form before filling in the columns given below:-

परिवर्तन प्रभार

(शब्दों में..... मात्र)

Conversion charges

(In words.....only)

रु.

--	--	--	--	--	--

--	--

Rs.

20. यदि आवेदक अटर्नी है तो अधिभार, जहाँ निर्धारित हो
(शब्दों में..... रुपये मात्र)

Surcharges wherever prescribed if the applicant is attorney

(In words.....only)

रु.

--	--	--	--	--	--

--	--

Rs.

21. 19 और 20 की राशि को जोड़े
Sum total of 19 and 20

रु.

--	--	--	--	--	--

--	--

Rs.

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है। मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि यदि कोई तथ्य छुपाया गया अथवा गलत हुआ तो आवेदन पत्र अवैध माना जाएगा तथा परिवर्तन अकृत तथा रद्द माना जाएगा।

I/We certify that the information given above is true and correct. I/We understand that if any fact has been suppressed or misrepresented, it shall render this application invalid, and conversion null and void.

स्थान / Place.....

दिनांक / Date.....

पट्टेदार / उप-आर्बिटी /
अटर्नी के हस्ताक्षर

Signature of Lessee/Co-
lessee/Allottee/Attorney

जो लागू न हो, उसे काट दें और जहाँ आवश्यक हो कालम भरें।

Strike out whatever is not applicable and fill in columns wherever necessary.

व्यावसायिक प्लॉटों हेतु
FOR COMMERCIAL PLOTS

आवेदन पत्र / चालान
App./Challan

004149

लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन
CONVERSION OF LEASE HOLD INTO FREEHOLD
दिल्ली विकास प्राधिकरण / DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
दि.पि.प्रा. के खाते में जमा कराने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विकास सदन (शाखा) में राशि जमा कराने के लिए चालान
Challan for remittance of money to the Central Bank of India/State Bank of India Vikas Sadan (Branch) to the credit of the Delhi Development Authority A/c

तृतीय प्रति / THIRD COPY
(बैंक द्वारा रखने के लिए)
(To be Retained by Bank)

फाइल सं. दिनांक
File No. Dated.....201.....

आबंटित सम्पत्ति के विवरण के साथ आबंटि का नाम और पता Name and address of allottee with details of property allotted	जमा कर विवरण (जो लागू न हो, उसे काट दें) Details of deposit (score out which is not applicable)	Amount राशि Rs. P. रु. पै.
नाम एवं पता / Name & address	1. परिवर्तन प्रभार आदि Conversion charges etc. 2. कार्रवाई शुल्क Processing fee	500.00
प्लॉट / दुकान सं. Plot / Shop No. योजना / क्षेत्र Scheme / Area	कुल विवरण पीछे दिया है TOTAL (Details as per reverse)	

1. जमा की गई राशि (शब्दों में)
Total Amount deposited (In words)

2. नकद / मांग ड्राफ्ट सं. दिनांक
Cash/Demand Draft No. Dated.....

3. किस बैंक पर देय है
Name of the Bank on which drawn

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर
Dated Signature of the Applicant

दिनांक को उपरोक्त राशि प्राप्त हुई
Received the above amount on
मुख्य खजांची / Chief Cashier
सेन्ट्रल बैंक / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India / State Bank of India

नोट : शर्तों के लिए कृपया पीछे देखें
Note : For conditions, please see on reverse

व्यावसायिक प्लॉटों हेतु
FOR COMMERCIAL PLOTS

आवेदन पत्र / चालान
App./Challan

004149

लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन
CONVERSION OF LEASE HOLD INTO FREEHOLD
दिल्ली विकास प्राधिकरण / DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
दि.पि.प्रा. के खाते में जमा कराने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विकास सदन (शाखा) में राशि जमा कराने के लिए चालान
Challan for remittance of money to the Central Bank of India/State Bank of India Vikas Sadan (Branch) to the credit of the Delhi Development Authority A/c

चौथी प्रति / FOURTH COPY
(बैंक द्वारा भुगतान करने वाले को उसके रिकार्ड के लिए देने हेतु)
(To be made over to the Applicant by the Bank for this record)

फाइल सं. दिनांक
File No. Dated.....201.....

आबंटित सम्पत्ति के विवरण के साथ आबंटि का नाम और पता Name and address of allottee with details of property allotted	जमा कर विवरण (जो लागू न हो, उसे काट दें) Details of deposit (score out which is not applicable)	Amount राशि Rs. P. रु. पै.
नाम एवं पता / Name & address	1. परिवर्तन प्रभार आदि Conversion charges etc. 2. कार्रवाई शुल्क Processing fee	500.00
प्लॉट / दुकान सं. Plot / Shop No. योजना / क्षेत्र Scheme / Area	कुल विवरण पीछे दिया है TOTAL (Details as per reverse)	

1. जमा की गई राशि (शब्दों में)
Total Amount deposited (In words)

2. नकद / मांग ड्राफ्ट सं. दिनांक
Cash/Demand Draft No. Dated.....

3. किस बैंक पर देय है
Name of the Bank on which drawn

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर
Dated Signature of the Applicant

दिनांक को उपरोक्त राशि प्राप्त हुई
Received the above amount on
मुख्य खजांची / Chief Cashier
सेन्ट्रल बैंक / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India / State Bank of India

नोट : शर्तों के लिए कृपया पीछे देखें
Note : For conditions, please see on reverse

आवेदन पत्र के कालम 19 एवं 20 के अनुसार ब्यौरे का सार
Abstract of details as per columns 19 & 20 of application.

1. परिवर्तन प्रभार
Conversion charges
2. अधिभार
Surcharge

रु.
Rs.

रु.
Rs.

कुल / Total

3. कार्यवाही शुल्क
Processing Fee

रु.
Rs. 500/-

शर्त :-

CONDITIONS

- परिवर्तन दस्तावेजों और रिकार्ड के सत्यापन तथा उनके सही पाए जाने की शर्त पर होगा।
Conversion is subject to verification of documents and records and their correctness.
- इस फार्म का इस्तेमाल भू-भाटक अथवा अन्य किसी देय राशि के लिए न किया जाए।
This form is not to be used for payment of Ground Rent or any other dues.

लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड के लिए परिवर्तन शुल्क स्वीकार करने के लिए सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की केवल विकास सदन शाखाएं अधिकृत हैं :-

Only the Vikas Sadan branches of the Central Bank of India / State Bank of India are authorised to accept conversion fee from leasehold to freehold.

आवेदन पत्र के कालम 19 एवं 20 के अनुसार ब्यौरे का सार
Abstract of details as per columns 19 & 20 of application.

1. परिवर्तन प्रभार
Conversion charges

रु.
Rs.

2. अधिभार
Surcharges

रु.
Rs.

कुल / Total

3. कार्यवाही शुल्क
Processing Fee

रु.
Rs. 500/-

x 500

x 100

x 50

x 20

x 10

x 5

x 1

सिक्के / Coins

कुले / Total

शर्त :-

CONDITIONS

- परिवर्तन दस्तावेजों और रिकार्ड के सत्यापन तथा उनके सही पाए जाने की शर्त पर होगा।
Conversion is subject to verification of documents and records and their correctness.
- इस फार्म का इस्तेमाल भू-भाटक अथवा अन्य किसी देय राशि के लिए न किया जाए।
This form is not to be used for payment of Ground Rent or any other dues.

लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड के लिए परिवर्तन शुल्क स्वीकार करने के लिए सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की केवल विकास सदन शाखाएं अधिकृत हैं :-

Only the Vikas Sadan branches of the Central Bank of India / State Bank of India are authorised to accept conversion fee from leasehold to freehold.

आवेदन पत्र के कालम 19 एवं 20 के अनुसार ब्यौरे का सार
Abstract of details as per columns 19 & 20 of application.

1. परिवर्तन प्रभार Conversion charges	रु Rs.
2. अधिभार Surcharges	रु Rs.
कुल / Total	
3. कार्यवाही शुल्क Processing Fee	रु Rs. 500/-

शर्तें :-

CONDITIONS

1. परिवर्तन दस्तावेजों और रिकार्ड के सत्यापन तथा उनके सही पाए जाने की शर्त पर होगा।

Conversion is subject to verification of documents and records and their correctness.

2. इस फार्म का इस्तेमाल भू-भाटक अथवा अन्य किसी देय राशि के लिए न किया जाए।

This form is not to be used for payment of Ground Rent or any other dues.

लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड के लिए परिवर्तन शुल्क स्वीकार करने के लिए सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की केवल विकास सदन शाखाएं अधिकृत हैं :-

Only the Vikas Sadan branches of the Central Bank of India / State Bank of India are authorised to accept conversion fee from leasehold to freehold.

आवेदन पत्र के कालम 19 एवं 20 के अनुसार ब्यौरे का सार
Abstract of details as per columns 19 & 20 of application.

1. परिवर्तन प्रभार Conversion charges	रु Rs.
2. अधिभार Surcharges	रु Rs.
कुल / Total	
3. कार्यवाही शुल्क Processing Fee	रु Rs. 500/-

शर्तें :-

CONDITIONS

1. परिवर्तन दस्तावेजों और रिकार्ड के सत्यापन तथा उनके सही पाए जाने की शर्त पर होगा।

Conversion is subject to verification of documents and records and their correctness.

2. इस फार्म का इस्तेमाल भू-भाटक अथवा अन्य किसी देय राशि के लिए न किया जाए।

This form is not to be used for payment of Ground Rent or any other dues.

लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड के लिए परिवर्तन शुल्क स्वीकार करने के लिए सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की केवल विकास सदन शाखाएं अधिकृत हैं :-

Only the Vikas Sadan branches of the Central Bank of India / State Bank of India are authorised to accept conversion fee from leasehold to freehold.

व्यावसायिक प्लॉटों हेतु
FOR COMMERCIAL PLOTS

आवेदन पत्र / चालान
App./Challan

004149

लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन

CONVERSION OF LEASE HOLD INTO FREEHOLD

दिल्ली विकास प्राधिकरण / DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

दि.पि.प्रा. के खाते में जमा कराने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विकास सदन (शाखा) में राशि जमा कराने के लिए चालान

Challan for remittance of money to the Central Bank of India/State Bank of India Vikas Sadan (Branch) to the credit of the Delhi Development Authority A/c

प्रथम प्रति / FIRST COPY

(आवेदन पत्र का भाग)

(To form part of application)

फाइल सं.

File No.....

दिनांक

Dated.....201.....

आबंटित सम्पत्ति के विवरण के साथ आबंटि का नाम और पता Name and address of allottee with details of property allotted	जमा कर विवरण (जो लागू न हो, उसे काट दें) Details of deposit (score out which is not applicable)	Amount राशि Rs. P. रु. पै.
नाम एवं पता / Name & address	1. परिवर्तन प्रभार आदि Conversion charges etc. 2. कार्रवाई शुल्क Processing fee	500.00
प्लॉट / दुकान सं. Plot/Shop No. योजना / क्षेत्र Scheme / Area	कुल विवरण पीछे दिया है TOTAL (Details as per reverse)	

1. जमा की गई राशि (शब्दों में)
Total Amount deposited (In words)

2. नकद / मांग ड्राफ्ट सं.
Cash/Demand Draft No.

दिनांक

Dated.....

3. किस बैंक पर देय है
Name of the Bank on which drawn

दिनांक

Dated.....

आवेदक के हस्ताक्षर

Singature of the Applicant

दिनांक को उपरोक्त राशि प्राप्त हुई

Received the above amount on.....

मुख्य खजांची / Chief Cashier

सेंट्रल बैंक / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India / State Bank of India

नोट : शर्तों के लिए कृपया पीछे देखें

Note : For conditions, please see on reverse

व्यावसायिक प्लॉटों हेतु
FOR COMMERCIAL PLOTS

आवेदन पत्र / चालान
App./Challan

004149

लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन

CONVERSION OF LEASE HOLD INTO FREEHOLD

दिल्ली विकास प्राधिकरण / DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

दि.पि.प्रा. के खाते में जमा कराने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विकास सदन (शाखा) में राशि जमा कराने के लिए चालान

Challan for remittance of money to the Central Bank of India/State Bank of India Vikas Sadan (Branch) to the credit of the Delhi Development Authority A/c

दूसरी प्रति / SECOND COPY

(लेखाधिकाारी रोकड़ को भेजने के लिए)

(To be sent to A.O. Cash)

फाइल सं.

File No.....

दिनांक

Dated.....201.....

आबंटित सम्पत्ति के विवरण के साथ आबंटि का नाम और पता Name and address of allottee with details of property allotted	जमा कर विवरण (जो लागू न हो, उसे काट दें) Details of deposit (score out which is not applicable)	Amount राशि Rs. P. रु. पै.
नाम एवं पता / Name & address	1. परिवर्तन प्रभार आदि Conversion charges etc. 2. कार्रवाई शुल्क Processing fee	500.00
प्लॉट / दुकान सं. Plot/Shop No. योजना / क्षेत्र Scheme / Area	कुल विवरण पीछे दिया है TOTAL (Details as per reverse)	

1. जमा की गई राशि (शब्दों में)
Total Amount deposited (In words)

2. नकद / मांग ड्राफ्ट सं.
Cash/Demand Draft No.

दिनांक

Dated.....

3. किस बैंक पर देय है
Name of the Bank on which drawn

दिनांक

Dated.....

आवेदक के हस्ताक्षर

Singature of the Applicant

दिनांक को उपरोक्त राशि प्राप्त हुई

Received the above amount on.....

मुख्य खजांची / Chief Cashier

सेंट्रल बैंक / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India / State Bank of India

नोट : शर्तों के लिए कृपया पीछे देखें

Note : For conditions, please see on reverse



हम गौरव के साथ भारत की राजधानी का निर्माण करते हैं
PROUDLY WE BUILD THE CAPITAL OF INDIA